14

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(औषध विभाग)

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति
(2021-22)

चौदहवाँ प्रतिवेदन

(सत्रहवीं लोकसभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

चौदहवाँ प्रतिवेदन

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति
(2021-22)

(सत्रहवीं लोकसभा)

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(औषध विभाग)

[हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्‌वारा की गई कार्रवाई]

24 मार्च, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

24 मार्च, 2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

***मार्च,* 2022/ चैत्र, 1943 (शक)**

सीपीयू सं. **1035**

मूल्य: रूपए......

© 2021 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों (..........संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और महाप्रबंधक, भारत सरकार का मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली-110002 द्वारा मुद्रित।

विषय सूची

		पृष्ठ
समिति (2021-22) की संरचना		(v)
प्राक्कथन		(vii)
अध्याय एक	प्रतिवेदन	1
अध्याय दो	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है..........	16
अध्याय तीन	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है..	24
अध्याय चार	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है..	28
अध्याय पांच	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तरों की अभी प्रतीक्षा है...	35

परिशिष्ट

एक समिति की 15 नवंबर, 2021 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश.............................36

दो समिति की 15 नवंबर, 2021 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश.............................39

तीन समिति की 16 फरवरी, 2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश............................42

चार 'हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल)' के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2020-21) के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण...44

<u>सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2021-22) की संरचना</u>

श्री संतोष कुमार गंगवार - *सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
3. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
4. श्री सी.पी. जोशी
5. श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि
6. श्रीमती पूनमबेन माडम
7. श्री अर्जुन लाल मीणा
8. श्री जनार्दन मिश्र
9. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु
10. श्री नामा नागेश्वर राव
11. श्री अरविन्द कुमार शर्मा
12. श्री रवनीत सिंह
13. श्री सुशील कुमार सिंह
14. श्री उदय प्रताप सिंह
15. श्री रामदास तडस

राज्य सभा

16. श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य
17. श्री अनिल देसाई
18. श्री सैयद नासिर हुसैन
19. श्री ओम प्रकाश माथुर
20. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर

21.श्री के.सी. राममूर्ति

22. श्री एम.शनमुगम

सचिवालय

1.	श्री आर.सी.तिवारी	-	अपर सचिव
2.	श्री श्रीनिवासुलु गुंडा	-	निदेशक
3.	श्री जी. सी. प्रसाद	-	अपर निदेशक
4.	श्रीमती मृगांका अचल	-	उप सचिव
5.	श्री ध्रुव	-	समिति अधिकारी

* **श्री संतोष कुमार गंगवार को श्रीमती मीनाक्षी लेखी के 07 जुलाई, 2021 को मंत्री नियुक्त होने पर 13 अगस्त, 2021 से सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।**

प्राक्कथन

मैं, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2021-22) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर 'हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड' के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी (सत्रहवीं लोक सभा) समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी यह चौदहवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

2. चौथे प्रतिवेदन 29 जनवरी, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर रखा गया। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी 16 सिफारिशों के संबंध में रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) से दिनांक 22 जुलाई, 2021 तक की-गई-कार्रवाई उत्तर प्राप्त हो गए थे।

3. समिति (2021-22) ने 16 फरवरी, 2022 को हुई बैठक में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया। बैठक के कार्यवाही सारांश परिशिष्ट तीन में दिया गए हैं ।

4. चौथे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट-चार में दिया गया है।

<u>नई दिल्ली;</u>
<u>22 मार्च, 2022</u>
01 चैत्र, 1943 (शक)

संतोष कुमार गंगवार
सभापति,
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

प्रतिवेदन

अध्याय-एक

समिति का यह प्रतिवेदन "हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल)" विषय पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2020-21) के चौथे प्रतिवेदन जिसे 29 जनवरी, 2021 को संसद में प्रस्तुत किया गया था, में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित है। इसमें 16 टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं।

2. प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी 16 टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार से की गई कार्रवाई टिप्पण प्राप्त हो गए हैं। चूँकि समिति की कुछ सिफारिशों समिति और सरकार की राय बिल्कुल अलग थी, इसलिए समिति ने 15.11.2021 को एचएएल और औषध विभाग (रसायन और उर्वरक मंत्रालय) के प्रतिनिधियों का आगे और साक्ष्य लिया। एचएएल और रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) द्वारा समिति को भेजे गए की-गई-कार्रवाई उत्तरों और लिखित जानकारी के आधार पर टिप्पणियों/सिफारिशों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है-

(एक) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है (अध्याय दो)
क्रम सं. 1, 7, 8, 11, 12, 13 और 14 (कुल 07)

(दो) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है। (अध्याय तीन)
क्रम सं. 2, 3, 9 और 10 (कुल 04)

(तीन) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है। (अध्याय-चार)
क्रम सं. 4, 5, 6, 15 और 16 (कुल 05)

(चार) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर दिए हैं और अंतिम उत्तर अभी प्रतीक्षित हैं । (अध्याय पांच)
शून्य (कुल 00)

3. समिति इच्छा व्यक्त करती है कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) द्वारा अध्याय एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर अंतिम की-गई-कार्रवाई टिप्पण/उत्तर संसद में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के तीन माह के भीतर उसे भेजे जाएं ।

4. समिति अब अनुवर्ती पैराओं में कुछेक टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर विचार करेगी।

कंपनी का कार्य-निष्पादन

सिफारिश (क्रम संख्या 4)

5. समिति ने अपने प्रतिवेदन में हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के कार्य-निष्पादन के बारे में निम्नवत सिफारिश की थी:

> "समिति द्वारा तथ्यों के विश्लेषण से पता चलता है कि विभिन्न कारणों अर्थात पेट्रोलियम की कीमतों में उछाल, उत्पादन की लागत में वृद्धि के अनुरूप औषधियों की कीमतों में संशोधन न करना, ब्याज का बोझ, 1997 के बाद पुनरुद्धार पैकेज के लिए लगभग 10 वर्षों की देरी, अतिरिक्त भूमि के मुद्रीकरण में विलंब, सेवाओं की उच्च लागत, सस्ती दरों पर आयातित दवाओं की उपलब्धता आदि से एचएएल को निरंतर नुकसान हुआ और एचएएल हानि के दुष्चक्र में फंस गया। समिति का सुविचारित मत है कि यह अकेले कंपनी से जुड़ा विशिष्ट मुद्दा नहीं है, जिसके कारण कंपनी इस स्थिति में पहुंची। बल्कि ऐसा विभिन्न बाहरी कारणों के संचित परिणाम के कारण हुआ था जिसके परिणामस्वरूप एचएएल की वित्तीय स्थिति खराब हो गई। समिति को आशा है कि अब सरकारी तंत्र सभी आवश्यक उपाय करेगा ताकि निकट भविष्य में देश में एक मजबूत थोक औषधि उत्पादक के लिए एचएएल को पुनर्जीवित किया जा सके।"

6. रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:

> "मंत्रिमंडल ने 28.12.2016 को अन्य बातों के साथ-साथ एचएएल की रणनीतिक बिक्री का निर्णय लिया है। इससे पहले समिति के निर्देशानुसार, एचएएल, बीसीपीएल और केएपीएल के रणनीतिक विनिवेश का मामला नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के साथ पुनर्विचार के लिए उठाया गया था। हालांकि, यह ध्यान में रखते हुए कि औषध उद्योग में निजी क्षेत्र अच्छी तरह से विकसित है और दवा सुरक्षा में सक्षम है, नई पीएसई नीति, 2021 में फार्मा पीएसयू को, चार रणनीतिक क्षेत्रों में शामिल नहीं किया गया है।"

एचएएल-सुधार की राह पर

सिफारिश (क्रम संख्या 5)

7. समिति ने अपने प्रतिवेदन में हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) में सुधार के बारे में निम्नवत सिफारिश की थी:

"समिति ने देखा कि दिसंबर 2016 में एचएएल को धन मुहैया कराने की प्रक्रिया में सरकार ने एचएएल का 307.23 करोड़ का ऋण और ब्याज (186.96 करोड़ रुपये की मूल राशि तथा 120.27 करोड़ रुपये का ब्याज) माफ कर दिया, 128.68 करोड़ रुपये की विभिन्न देय राशि को आस्थगित कर दिया और मजदूरी, वेतन और अन्य महत्वपूर्ण खर्चों को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपये का ऋण भी स्वीकृत किया। समिति ने देखा कि पिछले चार वर्षों में बिक्री कारोबार में वृद्धि हुई है। यह 2016-17 में 10.73 करोड़ रुपये, 2017-18 में 35.21 करोड़ रुपये, 2018-19 में 66.85 करोड़ रुपये और 2019-20 में 61.25 करोड़ रुपये था। बिक्री कारोबार पिछले चार वर्षों में छह गुना बढ़ गया है। हालांकि, समिति ने ध्यान दिया कि लगभग 70 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का नुकसान उच्च विद्युत लागत तथा मजदूरी और वेतन के भुगतान के कारण हुआ है। कारोबार बढ़ाने के अपने प्रयासों के रूप में कंपनी ने कई पहलें की हैं जैसे (i) पशु चिकित्सा खंडों में प्रवेश, (ii) कृषि खंडों में उत्पादन फिर से शुरू करना, (iii) एचएएल आरयूबी, स्वास्थ्य कियोस्क और हाथ स्वच्छता डिस्पेन्सर जैसे स्वच्छता उत्पाद विकसित करना (iv) अद्वितीय मद जैसे (क) एंटी - फ्रीज सलाइन (ग्लिसरीन के साथ सलाइन) जो सियाचिन जैसे उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है, और (ख) नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के लिए नारकोटिक डिटेक्शन किट विकसित करना, आदि। समिति ने देखा कि इसकी कई योजनाएं जैसे (i)) थोक विनिर्माण सुविधा की स्थापना जिसमें लगभग 50 से 60 टन प्रति माह की प्रारंभिक विनिर्माण क्षमता के साथ एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट का उत्पादन, (ii) सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को पूरा करने के लिए पेनिसिलिन वी गोलियों का निर्माण, (iii) एक एपीआई पेन्सिलिन जी संयंत्र का आधुनिकीकरण, कंपनी के भविष्य के बारे में अनिश्चितता के कारण रुका हुआ है। समिति को आशा है कि एचएएल के हित में सरकार द्वारा बहुत जल्द उचित निर्णय लिया जाएगा ताकि एचएएल को अपने पिछले गौरव को फिर से हासिल करने में सक्षम बनाया जा सके और एचएएल देश में थोक दवाओं की एक अग्रणी विनिर्माता के रूप में फिर से उभर सके।"

8. रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:

"जैसा कि उपरोक्त सिफारिश संख्या 4 के उत्तर में कहा गया है, मंत्रिमंडल ने दिनांक 28.12.2016 को एचएएल के रणनीतिक विनिवेश का निर्णय लिया है। तदनुसार, एचएएल के पुनरुद्धार के लिए कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है। हालांकि, सरकार ने वर्ष 2018-19 में एचएएल का 307.23 करोड़ रुपये का ऋण ब्याज सहित माफ कर दिया और कर्मचारियों के लंबित वेतन और 380 कर्मचारियों की वीआरएस के लिए 2019-20 में 280.15 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता प्रदान की। एचएएल ने अपनी अधिशेष भूमि को मुद्रीकरण के लिए भी चिह्नित किया है ताकि कंपनी के तुलन पत्र को स्पष्ट किया जा सके।"

9. आगे साक्ष्य के दौरान यह पूछे जाने पर कि क्या इस बात की गारंटी है कि एचएएल की भूमि आस्तियों की बिक्री से प्राप्त धनराशि को सरकार पुनः कंपनी में निवेश करेगी, एचएएल के प्रबंध निदेशक ने बताया कि :

"सरकार हमें देयताओं को समाप्त करने के निदेश देगी। यह स्पष्ट है।"

10. यह पूछे जाने पर कि क्या एचएएल की भूमि और अन्य परिसंपत्तियों का कोई स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"एचएएल ने सूचित किया है कि वर्ष 2017 के दौरान भूमि का मूल्यांकन एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता अर्थात् मैसर्स एम.जी. भट, (सरकारी पंजीकृत मूल्यांकक) द्वारा किया गया था। एचएएल, एमएपीएल और एमएसडीपीएल की भूमि का दूसरा मूल्यांकन एनबीसीसी द्वारा वर्ष 2018-19 में किया गया था। मंत्रियों की समिति (सीओएम) ने दिनांक 27.05.2021 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ वास्तविक न्यूनतम मूल्य पर पहुंचने के लिए फार्मा पीएसयू की परिसंपत्तियों के स्वतंत्र परिसंपत्ति मूल्यांकन किए जाने का भी प्रस्ताव रखा है। तदनुसार, इस विभाग ने फार्मा पीएसयू की परिसंपत्तियों का पृथक मूल्यांकन किए जाने के लिए स्वतंत्र परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ताओं के चयन के लिए सचिव (फार्मा) की अध्यक्षता में दिनांक 25.11.2021 को एक समिति का गठन किया है। स्वतंत्र परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ताओं के चयन के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) जारी किया जाएगा।"

11. कंपनी की ऑर्डर बुक की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछे जाने पर एचएएल ने अपने लिखित उत्तर में समिति को निम्नवत बताया:

"एचएएल को केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकार की एजेंसियों जैसे सरकारी मेडिकल स्टोर

डिपो, रक्षा, ईएसआईसी, रेलवे, मेडिकल कॉलेज, पीएसयू अस्पताल और जीईएम आदि से ऑर्डर मिल रहे हैं। एचएएल की 01/04/2021 से 31/10/2021 तक 65 करोड़ रुपये की बिक्री हुई है।"

12. एचएएल की वर्तमान शक्तियों के बारे में पूछे जाने पर कंपनी ने लिखित टिप्पण में निम्नवत बताया:

"एचएएल की वर्तमान शक्तियां इस प्रकार हैं: उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, उच्च उत्पादन क्षमता, कुशल जनशक्ति, पर्यावरण अनुकूल कृषि उत्पाद, अल्कोहलिक हैंड डिसइन्फेक्टेंट (एएचडी) के निर्माण के लिए अत्याधुनिक सुविधा, केवल सीपीएसयू में आईवीएफ (इंट्रा वीनस फ्लूइड) के निर्माण की सुविधा होना और हाल ही में पूरे कारखाने परिसर की पर्यावरण मंजूरी प्राप्त होना।"

13. आगे यह पूछे जाने पर कि क्या एचएएल को पुनर्जीवित किया जा सकता है और लाभ कमाने वाली कंपनी में बदला जा सकता है एचएएल ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"एचएएल को पुनर्जीवित किया जा सकता है और लाभ कमाने वाली कंपनी में बदला जा सकता है।"

14. समान प्रश्न के उत्तर में रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) ने अपने लिखित उत्तर में समिति को निम्नवत बताया:

"एचएएल 1972-73 से घाटे में है और निवल मूल्य अब नकारात्मक (-)701.83 करोड़ (2020-21) है। एचएएल ने कहा है कि वह सरकार की सहायता अर्थात् (i) यह एचएएल को "रणनीतिक बिक्री" के टैग से हटा दे (ii) सरकार डब्ल्यूएचओ जीएमपी अनुपालन के लिए एचएएल को एपीआई के विनिर्माण, उसके संयंत्रों, मशीनरी और सुविधाओं के उन्नयन हेतु बजटीय सहायता प्रदान करे, के अध्यधीन 5 वर्षों के भीतर लाभ कमाने वाली कंपनी में बदल सकती है।

हालांकि, आत्मनिर्भर भारत के लिए नई पीएसई नीति 2021 के मद्देनजर विभाग ने दिनांक 17.07.2019 के कैबिनेट निर्णयों के अनुसरण में एचएएल की पहचान की गई अधिशेष भूमि के शीघ्र निपटान और इसकी बैलेंस शीट क्लीयर करने और उसके बाद बेहतर संसाधनों, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के लिए निजी भागीदारी को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक निर्णय लेने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है।"

फार्मा- रणनीतिक क्षेत्र में शामिल किए जाने की आवश्यकता

सिफारिश (क्रम संख्या 6)

15. फार्मा को रणनीतिक क्षेत्र में शामिल करने की आवश्यकता के संबंध में समिति ने अपने प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिश की थी:

"समिति ने देखा कि मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की थी कि एचएएल, आईडीपीएल, आरडीपीएल और बीसीपीएल की अधिशेष भूमि को खुली प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से सरकारी एजेंसियों को बेचा जाए और उनकी बकाया देनदारियों को बिक्री आय से पूरा किया जाए। यह भी सिफारिश की गई कि देनदारियों को पूरा करने के बाद आईडीपीएल और आरडीपीएल को बंद कर दिया जाए और एचएएल और बीसीपीएल को रणनीतिक रूप से बेचा जाए। तथापि, 17.07.2019 को मंत्रिमंडल ने अपने पहले के निर्णय को संशोधित किया और डीपीई के 14.06.2018 के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार अधिशेष भूमि की बिक्री की अनुमति दी और कर्मचारियों के लंबित वेतन और वीआरएस के भुगतान के लिए कंपनी को 280.15 करोड़ रुपये के ऋण के रूप में बजटीय सहायता भी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने संपत्ति की बिक्री और बकाया देनदारियों को खत्म करने सहित इन्हें बंद करने / इनकी रणनीतिक बिक्री करने से संबंधित सभी निर्णय लेने के लिए मंत्रियों की एक समिति के गठन का भी फैसला लिया। समिति हालांकि यह पाती है कि इस बीच नीति आयोग ने फैसला किया कि सरकारी उपक्रमों को 'प्राथमिकता' उनके द्वारा की गई 'गतिविधि की प्रकृति' के आधार पर दी जाए न कि 'उनके वित्तीय प्रदर्शन' के आधार पर। इसने इस आधार पर सरकारी उपक्रमों को वर्गीकृत किया कि क्या वे राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित किसी भी रणनीतिक उद्देश्य की पूर्ति कर रहे थे, संप्रभु या अर्ध संप्रभु कार्य कर रहे थे, ऐसे महत्वपूर्ण विकास कार्य में शामिल थे, जहां निजी क्षेत्र कार्य करने में असमर्थ थे या सरकारी कंपनी (यूटिलिटी) के रूप में शामिल थे, जहां सरकारी उद्यम की उपस्थिति सरकारी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जरूरी थी। कोई भी पीएसयू, जो उपरोक्त चार मानदंडों में से एक को भी पूरा करता है, को 'उच्च प्राथमिकता' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। फार्मास्यूटिकल्स पीएसयू, जो उपरोक्त कार्यों में से कोई भी कार्य नहीं कर रहे थे, उन्हें कम प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था। नीति आयोग ने विभिन्न सरकारी उपक्रमों की जांच करने के बाद प्रत्येक पीएसयू के संबंध में पुनरुद्धार/ विलय/ बिक्री / राज्य सरकार को हस्तांतरित करने/ बंद करने / पट्टे पर देने / रणनीतिक विनिवेश आदि के लिए सिफारिश की, लेकिन फार्मा पीएसयू के संबंध में अपनी सिफारिशें आस्थगित रखने का फैसला किया। समिति ने देखा कि भारत एक विशेष देश से काफी मात्रा में दवाओं का आयात कर रहा है। समिति की दृढ़ राय है कि विशेष रूप से जीवन रक्षक दवाओं के लिए

एक विशेष देश से आयात पर बहुत अधिक निर्भरता वांछनीय नहीं है और इसलिए, यह राष्ट्रीय हित में है कि फार्मा क्षेत्र में कम से कम एक पीएसयू होना चाहिए ताकि देश में स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति में हम इस पर निर्भर कर सकें क्योंकि आपातकाल की स्थिति में स्वदेशी निजी क्षेत्र भी हमारी आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। अतः समिति का सुविचारित मत है कि फार्मा को एक रणनीतिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए ताकि भू-राजनीतिक कारणों और स्वास्थ्य आपात स्थिति आदि के कारण अनिश्चितताओं से उत्पन्न स्थितियों में स्वास्थ्य क्षेत्र और देश की लगभग 1.3 बिलियन जनसंख्या की अच्छी तरह से देखभाल की जा सके। इसलिए समिति सरकार से आग्रह करती है कि हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के भविष्य के बारे में अंतिम निर्णय लेने से पहले वह इन सभी कारकों पर गंभीरता से विचार करे।"

16. रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:

"......... नई पीएसई नीति, 2021 के अनुसार औषध पीएसयू को चार रणनीतिक क्षेत्रों के भाग के रूप में नहीं माना जाता है और इनका निजीकरण अथवा इन्हें बंद किए जाने की आवश्यकता है।"

17. कोविड महामारी के दौरान एचएएल के उल्लेखनीय योगदान/उपलब्धियों के बारे में पूछे जाने पर एचएएल ने अपने लिखित उत्तर में समिति को निम्नवत बताया:

"कोविड -19 महामारी के दौरान एचएएल एकमात्र ऐसा सीपीएसई रहा है जिसने अल्कोहलिक हैंड डिसइन्फेक्टेंट के निर्माण के लिए अत्याधुनिक सुविधा विकसित की है जो कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए एक शक्तिशाली हथियार है। एचएएल ने एचएएल क्लाउड क्लिनिक- एक हेल्थ कियोस्क का निर्माण भी शुरू कर दिया है जो किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करने के लिए पांच मिनट में 23 स्वास्थ्य मानकों को मापता है। एचएएल ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और अल्कोहलिक हैंड डिसइन्फेक्टेंट जैसे कोविड -19 संबंधित उत्पादों के लिए भी लाइसेंस प्राप्त किया है।"

एचएएल को सीपीएसयू के रूप में बनाए रखे जाने की आवश्यकता

सिफारिश (क्रम सं. 15)

18. समिति ने अपने प्रतिवेदन में एचएएल को सीपीएसयू बनाए रखने की आवश्यकता के संबंध में निम्नलिखित सिफारिश की थी:-

“समिति ने देखा कि हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड देश की सबसे पुरानी सार्वजनिक क्षेत्र की दवा कंपनी है जो 1954 में अपनी स्थापना के बाद से पिछले 66 वर्षों से देश की सेवा कर रही है। कंपनी का दुर्भाग्य वर्ष 1973-74 में शुरू हुआ जब पहली बार कंपनी का व्यवसाय जो इन वर्षों के दौरान काफी लाभदायक रहा, पेट्रोलियम कीमतों में उछाल के कारण इसकी उत्पादन लागत में वृद्धि से कंपनी को नुकसान हुआ। कंपनी को समय पर राहत नहीं मिलने और संगठन के कुछ ढुलमुल रवैये के कारण बाद में एचएएल के कारोबार में कई उतार-चढ़ाव आए लेकिन व्यापक स्तर पर 1973-74 में सामने आई नकारात्मक प्रवृत्ति से कंपनी अभी तक उबर नहीं पाई है। यह भी दुःखद है कि सरकार द्वारा कंपनी को दी गई विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता भी एचएएल के पिछले गौरव को बहाल करने में विफल रही और कंपनी को अपनी वर्तमान और निश्चित देनदारियों को पूरा करने में पूरी ताकत लगानी पड़ी। आश्चर्यजनक रूप से, सुधार लाने के लिए शुरू किए गए कुछ कदमों से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और कंपनी का व्यवसाय और भी बिगड़ गया जो इस बात से स्पष्ट है कि कंपनी की सहायता करने के बजाय कंपनी की रणनीतिक बिक्री के लिए निर्णय लिया गया जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि कंपनी की रणनीतिक बिक्री के निर्णय के कारण कंपनी ग्राहकों से पर्याप्त भावी आर्डर प्राप्त नहीं कर सकी और अपने भविष्य के साथ जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण कंपनी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकी और न ही दीर्घकालिक निर्णय ले सकी। संभावित राष्ट्रीय और वैश्विक ग्राहकों की नजर में इसने कंपनी की छवि को भी भारी क्षति पहुचाई और बाजार से पर्याप्त व्यवसाय हासिल करने की संभावनाओं को समाप्त कर दिया। समिति का मानना है कि एचएएल के पास मजबूत बुनियादी ढांचा और अच्छी तरह से सुस्थापित संयंत्र और मशीनरी है जो कि इसकी ताकत है । एचएएल की निम्नलिखित क्षेत्रों में मजबूत बुनियादी ढ़ांचे के कारण स्थिति मजबूत हैः

(i) कई दवाओं और मिश्रणों (ड्रग एण्ड फॉर्मूलेशन्स) के विनिर्माण में मुख्य क्षमता (कोर कंपिटेन्स)होना,

(ii) एंटीबायोटिक दवाओं का आविष्कार करने का गौरव प्राप्त होना,

(iii) समर्पित और कुशल आर एंड डी टीम का होना,

(iv) कुशल विपणन टीम और नेटवर्क चैनल का होना,

(v) अनुभवी पेशेवर और कम जनशक्ति का होना,

(vi) एचएएल द्वारा विभिन्न उपायों के माध्यम से लागत में कमी और प्रभावशीलता में वृद्धि करना ,

(vii) पर्याप्त उत्पादन सुविधाएं होना,

(viii) प्राइम लोकेशन पर कीमती जमीन होना,

(ix) स्थापित ब्रांड और साख होना ; आदि।

इस तरह से एचएएल भविष्य में मजबूत व्यवसाय बनाने के लिए सभी आवश्यक संसाधनों और बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित है। इसलिए समिति एचएएल की मुख्य क्षमता (कोर कंपिटेन्स), और इसके मजबूत बुनियादी ढांचे के आधार जैसा की ऊपर वर्णित है को पुनर्जीवित करने और इसे सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसयू के रूप में बनाए रखने के लिए सरकार से दृढ़ता से सिफारिश करती है।"

19. रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

"मंत्रिमंडल ने दिनांक 28.12.2016 को एचएएल के रणनीतिक विनिवेश का निर्णय लिया था। इसके अतिरिक्त दिनांक 17.07.2019 को मंत्रिमंडल ने एचएएल सहित पीएसयू की संपत्ति की बिक्री और देनदारियों के भुगतान से संबंधित सभी निर्णय लेने के लिए मंत्रियों की एक समिति का गठन किया। मंत्रियों की समिति ने 27.05.2021 को हुई अपनी पहली बैठक में सेवानिवृत्त लोगों की सभी लंबित देय राशि का निपटान करने के लिए एचएएल को 118 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है और लंबित देनदारियों का निपटान करने के लिए 3.5 एकड़ अधिशेष भूमि की बिक्री को मंजूरी दी है। रणनीतिक क्षेत्र में एचएएल पर विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।"

पुनर्वास रणनीति पर पुनर्विचार

सिफारिश (क्रम सं. 16)

20. समिति ने अपने प्रतिवेदन में फार्मा क्षेत्र के रणनीतिक महत्व और एचएएल के पुनर्वास पर पुनर्विचार के संबंध में निम्नलिखित की सिफारिश की थी:-

"समिति ने आगे कहा कि फार्मास्यूटिकल विभाग को सामान्य रूप से फार्मा क्षेत्र के और विशेष रूप से एचएएल के रणनीतिक महत्व पर सरकार को मनाने के लिए नीति आयोग की बजाय कैबिनेट से संपर्क करना चाहिए था तथा कंपनी को सरकारी क्षेत्र में बरकरार रखे जाने हेतु सभी प्रयास करने चाहिए थे। इसके अलावा, विभाग को देश को फार्मा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर' बनाने के लिए 6 साल पहले 25 सितंबर 2014 को शुरू किए गए 'मेक इन इंडिया' के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पर समय से काम करना चाहिए था ताकि बढ़ते आयात पर निर्भरता कम हो सके। हाल ही में कोविड महामारी ने देश को और अधिक दर्दनाक तरीके से एहसास कराया कि मुश्किल समय में जब आयात चैनल उपलब्ध नहीं होता और निजी क्षेत्र हमारी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता है, तो केवल सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी

हमारे बचाव में आ सकती है और समाज और देश की मदद कर सकती है। अतः समिति सरकार से इन सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करने और फार्मा क्षेत्र को रणनीतिक क्षेत्र घोषित करने की पुरजोर सिफारिश करती है। समिति की इच्छा है कि एक बार जब 'फार्मा' को 'रणनीतिक' क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, तो आवश्यक पूंजी निवेश के द्वारा एचएएल के लिए एक ठोस कारोबार योजना तैयार करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसा करने में देरी होने से उसकी वित्तीय स्थिति में और गिरावट आएगी। समिति ने देखा कि रणनीतिक बिक्री टैग के कारण नए उत्पाद खंडों में प्रवेश करने, मौजूदा उत्पादों के विस्तार, पुराने संयंत्र और मशीनरी के उन्नयन आदि के लिए एचएएल की कई योजनाएं रोक दी गई हैं। इसलिए समिति पूरी उम्मीद करती है कि सरकार इस मामले में जल्द से जल्द अंतिम निर्णय लेगी।"

21. रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

"...... और जैसा कि नई पीएसई नीति, 2021 में बताया गया है, एचएएल और अन्य सभी फार्मा पीएसयू को चार रणनीतिक क्षेत्रों का हिस्सा नहीं माना जाता है और इनका या तो निजीकरण किया जायेगा या इन्हें बंद कर दिया जाएगा।"

22. समिति द्वारा एचएएल के निजीकरण या बंद होने के मुद्दे पर मंत्रालय के विचारों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने समिति को अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"एचएएल की रणनीतिक बिक्री करने का निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 28.12.2016 की अपनी बैठक और दिनांक 17.07.2019 की अनुवर्ती बैठक में विभाग के प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात लिया गया था। तत्पश्चात, फार्मा पीएसयू के रणनीतिक विनिवेश पर फिर से विचार करने के संबंध में अपनी दिनांक 10.12.2019 और 20.03.2020 की रिपोर्ट में "अनुदानों की मांगें 2019-20" पर विभाग से संबंधित रसायन और उर्वरक पर स्थायी समिति की विशिष्ट सिफारिशों के मद्देनजर और इस संबंध में नीति आयोग से विशिष्ट उत्तर/टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए, इस मामले को तत्कालीन माननीय मंत्री (रसायन और उर्वरक) ने नीति आयोग और माननीय वित्त मंत्री के साथ दिनांक 03.07.2020 और 23.12.2020 को फार्मा पीएसयू अर्थात केएपीएल, बीसीपीएल और एचएएल के विनिवेश के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए उठाया था।

उत्तर में, नीति आयोग ने दिनांक 22.11.2021 को तीन फार्मा पीएसयू (केएपीएल, एचएएल और बीसीपीएल) के विलय और सरकार के नियंत्रण में बनाए रखने के प्रस्ताव से असहमति जताई है। पूर्व में, आत्म-निर्भर भारत 2021 के लिए नई सार्वजनिक उद्यम (पीएसई) नीति, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, का उल्लेख करते हुए, माननीय

वित्त मंत्री ने उत्तर दिया कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस उद्योग में निजी क्षेत्र पहले से ही अच्छी तरह से विकसित है और देश की औषध सुरक्षा को पूरा करने के साथ-साथ वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है, औषध क्षेत्र को रणनीतिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। कैबिनेट के फैसले को पूरा करने के लिए विभाग कार्रवाई कर रहा है।"

23. 'हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल)' के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन 29.01.2021 को संसद में प्रस्तुत किया गया था। इस संदर्भ में, जब उनसे पूछा गया कि मंत्रालय में समिति की सिफारिशों पर किस स्तर पर विचार किया गया था और क्या समिति की सिफारिशों को नीति आयोग को भेजा गया था अथवा दिनांक 29.02.2021 को समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया था; रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) ने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया :-

"दिनांक 16.12.2021 को उत्तर अग्रेषित करने से पूर्व समिति की सिफारिशों पर सचिव (फार्मा) के स्तर पर विचार किया गया है। वर्तमान उत्तर भेजने से पहले सिफारिशें माननीय मंत्री के समक्ष रखी गई हैं। समिति की दिनांक 29.01.2021 की चौथी रिपोर्ट नीति आयोग को नहीं भेजी गई थी क्योंकि समिति ने इस संबंध में कोई विशेष निर्देश नहीं दिया था और विभाग ने समिति की दिनांक 29.01.2021 रिपोर्ट से पहले ही नीति आयोग से संपर्क कर लिया था। विभाग ने समिति की सिफारिश रखने के लिए 29.01.2021 के बाद कैबिनेट से संपर्क नहीं किया है क्योंकि कैबिनेट ने अपनी दिनांक 17.07.2019 की बैठक में औषध के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) की बिक्री/इन्हें बंद करने से संबंधित सभी निर्णय लेने के लिए, जिसमें बकाया देनदारियों के समाशोधन शामिल हैं, मंत्रियों की समिति (सीओएम) के गठन को मंजूरी दे दी है।"

24. यह पूछे जाने पर कि क्या सीपीएसयू को 'रणनीतिक' या 'गैर-रणनीतिक' के रूप में वर्गीकृत करने के संबंध में नीति आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी हैं, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार स्पष्ट किया है:-

"सीपीएसयू के वर्गीकरण के संबंध में नीति आयोग की सिफारिशें इस विभाग को उपलब्ध नहीं कराई गई थीं। तथापि, आत्मानिर्भर भारत के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसई) नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 4 रणनीतिक क्षेत्रों में मौजूदा सीपीएसई की न्यूनतम उपस्थिति होगी और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में सीपीएसई का या तो निजीकरण होगा या वे बंद होंगे। फार्मा पीएसयू को गैर-रणनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है जिनका या तो निजीकरण किया जाएगा या उन्हें सरकार की नई पीएसई नीति के अनुसार बंद कर दिया जाएगा।"

25. निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए नए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ("पीएसई") नीति के बारे में दिनांक 4 फरवरी 2021 को जारी किए गए कार्यालय ज्ञा. सं. 3/3/2020-डीआईपीएएम-II -बी (ई) के अनुसार, सीपीएसई का 'रणनीतिक' या 'गैर-रणनीतिक' क्षेत्रों के रूप में वर्गीकरण करने और सीपीएसई को सरकार के नियंत्रण के तहत बनाए रखने अथवा निजीकरण या विलय या अन्य किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सहायक कंपनी बनाने अथवा बंद करने पर विचार करने की प्रक्रिया पुन: प्रस्तुत है:-

> "..... सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक उपक्रमों को रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों के रूप में निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा रहा है:

<u>रणनीतिक क्षेत्र</u> -

रणनीतिक क्षेत्रों को राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण अवसंरचना, वित्तीय सेवाओं के प्रावधान और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता के मानदंडों के आधार पर रेखांकित किया गया है। इसके आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों को रणनीतिक क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है:

एक. परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा;

- परिवहन और दूरसंचार;
- विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज;
- बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं।

...... नीति आयोग, मौजूदा प्रक्रिया के संदर्भ में रणनीतिक क्षेत्रों के तहत सीपीएसई के संबंध में सिफारिशें करेगा, जिन्हें सरकार के नियंत्रण के तहत बनाए रखा जाना है अथवा जिनको निजीकरण या विलय या अन्य किसी पीएसई की सहायक कंपनी बनाने या बंद करने के लिए विचार किया जाना है। उनकी सिफारिशों पर विनिवेश संबंधी सचिवों के कोर समूह (सीजीडी) द्वारा विचार किया जाएगा। रणनीतिक विनिवेश के लिए वैकल्पिक तंत्र (एएम), जैसा कि सीसीईए द्वारा 16.08.2017 को स्वीकार किया गया है, में वित्त मंत्री, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के मंत्री शामिल होंगे और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री सीजीडी की सिफारिशों पर विचार करेंगे और सीपीएसई को सरकार के नियंत्रण में बनाए रखने या निजीकरण या विलय या अन्य किसी पीएसई की सहायक कंपनी बनाने या बंद करने के लिए विचार करने की सिफारिश करेंगे।"

26. समिति ने हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) की विस्तृत जांच की और 29 जनवरी 2021 को संसद में अपना चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अपने मूल प्रतिवेदन में, समिति ने पाया कि एचएएल की वर्ष 1954 में स्थापना की गई थी और इसकी 263 एकड़ की फ्रीहोल्ड भूमि में विनिर्माण सुविधाएं फैली हुई हैं जो पिपड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में स्थित हैं। कंपनी की दो

सहायक कंपनियां है जिनका नाम मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (एमएसडीपीएल) जो इंफाल में है और 1998 से बंद पड़ी है और दूसरी महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (एमएपीएल) है जो नागपुर में है और 2003 से बंद है। कंपनी की स्थापना अधिक मात्रा में औषधि, जीवनरक्षक औषधि और अन्य फार्मूलेशन के विनिर्माण हेतु हुई थी और पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने कृषि और पशुपालन की औषधियों का निर्माण भी आरंभ किया है। वर्तमान में कंपनी फार्मा फार्मूलेशन के निर्माण और कृषि फार्मूलेशन के माध्यम से औषधि और कृषि बाजार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वर्ष 1973-74 में पहली बार कंपनी को घाटा हुआ था और मार्च 1997 में बीआईएफआर ने इसे रूग्ण घोषित कर दिया था। सरकार ने जून 2007 में 137.59 करोड़ रूपए पुनरूद्धार योजना के लिए मंजूर किए थे जिसे 80.63 करोड़ रूपए की बजटीय सहायता के रूप में और 56.96 करोड़ रूपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिया गया था। तत्पश्चात 20 दिसंबर 2016 में सरकार ने एचएएल का ऋण और ब्याज माफ कर दिया जो 307.23 करोड़ रूपए था और साथ ही 128.68 करोड़ रूपए की अन्य बकाया राशियों को भी आस्थगित कर दिया और 100 करोड़ रूपए के ऋण को भी स्वीकृत किया जिससे मजदूरी, वेतन और अन्य महत्वपूर्ण व्यय का वहन किया जा सके।

27. समिति ने अपने चौथे प्रतिवेदन में आगे यह पाया कि ऐतिहासिक रूप से इसके कई कारक रहे हैं जैसे पेट्रोलियम के मूल्य में वृद्धि, औषधि की कीमतों में उत्पादन की लागत के दृष्टिगत संशोधन न किया जाना/संशोधन, ब्याज का बोझ, पुररूद्धार पैकेज लागू करने में 1997 से दस वर्षों की देरी, अतिरिक्त भूमि का मुद्रीकरण, सेवाओं की अधिक दर, आयातित औषधियों की कम मूल्यों पर उपलब्धता आदि जिससे एचएएल को लगातार हानि हुई और यह इस मंदी के चक्र में फंस गया। समिति का यह भी विचार था कि कंपनी के कार्य-निष्पादन में गिरावट का कारण केवल कंपनी विशिष्ट मुद्दे नहीं थे बल्कि कई सारे बाहरी कारण भी थे जिससे कि एचएएल को समयांतर में वित्तीय घाटा हुआ है। समिति ने आशा की थी कि सरकारी तंत्र हर संभव प्रयास करेगा कि एचएएल को संगठित रूप से पुनर्जीवित किया जा सके ताकि एचएएल निकट भविष्य में देश में अधिक मात्रा में औषध निर्माण में एक समग्र भूमिका निभा सके।

28. समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) द्वारा प्रस्तुत की-गई-कार्रवाई उत्तर में समिति ने पाया कि मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि 28.12.2016 को मंत्रिमंडल ने एचएएल में रणनीतिक विनिवेश का निर्णय लिया था। आगे, 17.07.2019 को मंत्रिमंडल ने मंत्रियों की एक समिति गठित की जो एचएएल सहित सभी पीएसयू की आस्तियों की बिक्री और देयताओं को चुकाने का निर्णय लेगी। इसके अतिरिक्त, मंत्रियों की इस समिति ने दिनांक 27.05.2021 को अपनी पहली बैठक में एचएएल को 118 करोड़ रूपए की राशि अनुमोदित की जिससे सभी सेवानिवृत्त कार्मिकों की समग्र बकाया राशि का भुगतान किया जा सके और लंबित देयताओं को चुकाने हेतु 3.5 एकड़ अतिरिक्त भूमि की बिक्री को मंजूरी दी। इसके

अतिरिक्त एचएएल को रणनीतिक क्षेत्र में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं था और नई पीएसी नीति 2021 के अनुसार, एचएएल और अन्य फार्मा पीएसयू को चार रणनीतिक क्षेत्रों में शामिल नहीं किया गया ओर इनका या तो निजीकरण किया जाएगा या फिर इन्हें बंद किया जाएगा।

29. चूंकि सरकार ने समिति की सिफारिशों पर गंभीरता से विचार नहीं किया। समिति ने हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड और रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) के प्रतिनिधियों का 15.11.2021 को साक्ष्य लिया। साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत सूचना के आधार पर समिति ने पाया कि कोविड महामारी के दौरान एचएएल ने कई उल्लेखनीय योगदान किए हैं/उपलब्धियां प्राप्त की हैं। यह एकमात्र ऐसी सीपीएसयू थी जिसने एल्कोहोलिक हैंड डिसइन्फेक्टेंट (एएचडी) के विनिर्माण के लिए अत्याधुनिक सुविधा विकसित की जो कोविड-19 महामारी से लड़ने में काफी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने एचएएल क्लाउड क्लिनिक का भी निर्माण किया जो कि एक स्वास्थ्य कियोस्क है जो 5 मिनट में 23 स्वास्थ्य मानदंडों का आकलन करते हुए किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की जांच करता है। महामारी के दौरान कंपनी ने कोविड-19 संबंधी उत्पादों जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एल्कोहोलिक हैंड डिसइंफेक्टेंट के लिए भी लाइसेंस प्राप्त किए। इसके साथ ही समिति ने पाया कि एचएएल के पास पहले से ही मजबूत आधारभूत संरचना और सुस्थापित संयंत्र और मशीनरी है जो इसकी ताकत है और यह इन क्षेत्रों में भी सशक्त है जैसे (i) कई औषधि और फार्मूलेशन में पूर्ण दक्षता होना (ii) एंटीबायोटिक्स की खोज में पारंगत होना (iii) समर्पित और दक्ष आर एंड डी टीम का होना (iv) दक्ष विपणन टीम और नेटवर्क चैनल का होना (v) अनुभवी कर्मचारी और कम जनशक्ति होना (vi) विभिन्न उपायों के माध्यम से एचएएल द्वारा कम लागत में अधिक प्रभाविता सुनिश्चित किया जाना होना (vii) पर्याप्त उत्पादन सुविधाएं होना (viii) महत्वपूर्ण स्थानों पर बहुमूल्य भूमि/संपत्ति होना (ix) सुस्थापित ब्रांड और साख आदि। इसके अलावा एचएएल के स्वामित्वाधीन 263 एकड़ भूमि में से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले ही पुणे स्थित 87.70 एकड़ की फ्रीहोल्ड अधिशेष भूमि की बिक्री की अनुमति दी है। 87.70 एकड़ भूमि में से मंत्रियों की समिति ने 3.5 एकड़ को ईपीएफओ को बिक्री करने की अनुमति दी है और शेष 84.2 एकड़ भूमि की ई-टेन्डरिंग के माध्यम से एनबीसीसी/एमएसटीसी द्वारा बिक्री की जानी है। साक्ष्य के दौरान समिति को यह बताया गया है कि एचएएल की भूमि संबंधी आस्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि से कंपनी अपनी देयताओं को चुकाने में निवेश करेगी। इस परिप्रेक्ष्य में, समिति यह पाती है कि एचएएल भविष्य में मजबूत व्यवसाय का सृजन करने में सभी आवश्यक वित्तीय संसाधनों और अवसंरचनाओं से परिपूर्ण है।

30. समिति स्मरण करती है कि जब 29.01.2021 को समिति ने एचएएल के चौथे प्रतिवेदन को संसद में प्रस्तुत किया तब मंत्रिमंडल द्वारा 28.12.2016 को एचएएल में रणनीतिक विनिवेश का निर्णय समिति को ज्ञात था। इस परिप्रेक्ष्य में समिति ने सिफारिश की थी कि 'औषधि क्षेत्र' को एक रणनीतिक क्षेत्र माना जाए और एचएएल के लिए एक अच्छी व्यवसाय नीति जो कि एचएएल की

मुख्य क्षमताओं और सुदृढ़ संरचनात्मक आधार को ध्यान में रखते हुए गठित की जाए और एचएएल का पुनरूद्धार कर उसे दोबारा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम घोषित किया जाए। तथापि समिति यह पाती है कि समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों को न ही मंत्रालय द्वारा नीति आयोग को भेजा गया और न ही मंत्रियों की समिति को इस निर्णय पर पुन: विचार करने हेतु भेजा गया। मंत्रालय ने सिफारिशों को पुन: विचार करने हेतु केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष भी प्रस्तुत नहीं किया। समिति यह पाती है कि मंत्रालय संसदीय समिति की इतनी गंभीर सिफारिशों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। अत: समिति यह महसूस करती है कि मंत्रालय को भविष्य में संसदीय समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए गंभीरतापूर्वक आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है।

31. समिति ने अपने चौथे प्रतिवेदन में यह पाया कि हमारा देश एक दूसरे देश से बहुत बड़ी मात्रा में औषधि आयातित करता है जो कि राष्ट्रीय चिंता और राष्ट्रीय औषधि सुरक्षा का विषय है। अत: समिति ने यह विचार व्यक्त किया कि किसी भी एक देश पर, विशेष रूप से जीवनरक्षक औषधियों के लिए निर्भरता वांछनीय नहीं है, अत: यह राष्ट्रीय हित में होगा कि औषध क्षेत्र में कम से कम ऐसा एक पीएसयू हो जिस पर हम किसी भी स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति में निर्भर हो सकें। ऐसा लगता है कि समिति की इन चिंताओं का मंत्रालय द्वारा समाधान नहीं किया गया है। अत: समिति अपनी इस सिफारिश को दोहराती है कि "औषधि क्षेत्र" को सीपीएसयू क्षेत्र का एक 'रणनीतिक' क्षेत्र घोषित किया जाए। आगे राष्ट्रीय औषध सुरक्षा, एचएएल की शक्ति, जीवनरक्षक औषधियों/दवाइयों के उत्पादन में सरकारी और सामाजिक महत्व और आम जनता को वहनीय दरों पर इन्हें उपलब्ध कराने के दृष्टिगत समिति चौथे प्रतिवेदन में दी गई अपनी सिफारिशों को पुरजोर रूप से दोहराती है और इच्छा व्यक्त करती है कि इन सिफारिशों को शीघ्रातिशीघ्र नीति आयोग भेजा जाए और साथ ही इन्हें केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाए ताकि हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के भविष्य पर कोई भी अंतिम कार्रवाई करने से पहले सभी मुद्दों पर विचार किया जा सके।

******

अध्याय-दो

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) - संक्षिप्त विवरण

(सिफारिश क्रम संख्या 1)

1. समिति ने नोट किया कि हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय और विनिर्माण सुविधाएं महाराष्ट्र के पुणे, पिंपरी में स्थित है। कंपनी का गठन थोक दवाओं, जीवन रक्षक दवाओं और अन्य फॉर्म्यूलेशन के निर्माण के लिए किया गया था। विगत वर्षों के दौरान कृषि और पशु चिकित्सा दवाओं में उपयोग किए जाने वाले उत्पादों के लिए कई नए उत्पादों का विनिर्माण किया गया। कंपनी ने दो सहायक कंपनियों का गठन किया, अर्थात् इम्फाल में मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (एम एस डी पी एल) जो 1998 से बंद है और नागपुर में महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (एम ए पी एल) जो 2003 से बंद है। महाराष्ट्र, पुणे के पिंपरी में कंपनी का 263 एकड़ में अपना खुद का फ्रीहोल्ड लैंड है और वर्तमान में 464 कर्मचारियों की श्रमशक्ति है। कंपनी के पास पेन्सिलिन - जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट आदि जैसी थोक दवाओं के विनिर्माण के लिए किण्वन (फर्मेन्टेशन) आधारित विनिर्माण सुविधाएं हैं। वर्तमान में कंपनी, औषधि (फार्मा) और कृषि बाजार की विस्तृत श्रृंखला को पूरा करने के लिए औषधि फॉर्म्युलेशन और एग्रो फॉर्म्युलेशन के विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। फार्मा उत्पादों में इंजेक्टेबल्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इंट्रावीनस उत्पाद, लिक्विड सिरप आदि जैसी विभिन्न खुराक शामिल हैं। कंपनी को 1973-74 में पहली बार घाटा हुआ था और मार्च 1997 में बी आई एफ आर द्वारा रुग्ण घोषित किया गया था। सरकार ने जून 2007 में 137.59 करोड़ रुपये की लागत के साथ पुनर्वास योजना को मंजूरी दी जिसमे 80.63 करोड़ रुपये का बजटीय समर्थन तथा 56.96 करोड़ रु ब्याज मुक्त ऋण था। इसके बाद दिसंबर 2016 में, सरकार ने 307.23 करोड़ रुपये के ऋण जिसमे 186.96 करोड़ रुपये की मूल राशि और 120.27 करोड़ रुपये का ब्याज शामिल था को, तथा 128.68 करोड़ रुपये की विभिन्न बकाया राशि को आस्थगित कर दिया और साथ ही मजदूरी, वेतन और अन्य महत्वपूर्ण खर्चों को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपये का ऋण भी स्वीकृत किया। इसके बाद, मंत्रियों की समिति की सिफारिशों के आधार पर, मंत्रिमंडल ने इसकी देयताओं को पूरा करने के लिए कंपनी की अधिशेष भूमि को 28.12.2016 को बेचने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने 17.07.2019 के अपने पहले के फैसले को संशोधित किया और संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अधिशेष भूमि की बिक्री की अनुमति दी और 280.15 करोड़ रुपये के ऋण के रूप में बजटीय सहायता भी प्रदान की ताकि कर्मचारियों के वेतन और वीआरएस का भुगतान किया जा सके। समिति को दी गई जानकारी के अनुसार, सरकार ने कंपनी के रणनीतिक विनिवेश के लिए निर्णय लिया था। तथापि रसायन और

उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सलाह पर, सरकार ने कंपनी के विनिवेश के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए नीति आयोग और वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है। एचएएल ने फार्मास्युटिकल विभाग को एक व्यावसायिक योजना प्रस्तुत की है और एक रणनीतिक साझेदार के रूप में इच्छा भी व्यक्त की है। अपनी रिपोर्ट में, सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति ने कंपनी के कार्य निष्पादन से संबंधित प्रमुख मुद्दों की जांच की है और सरकारी कंपनी के रूप में इसे बनाए रखने के लिए इसकी मूलभूत सामर्थ्य (कोर काम्पिटन्स), शक्ति, अवसर और संभावना का भी अध्ययन किया। समिति को आशा है कि आगामी पैराओं में की गई उनकी टिप्पणियों और सिफारिशों को सही परिप्रेक्ष्य में लागू किया जाएगा ताकि आने वाले वर्षों में कंपनी की वास्तविक और वित्तीय कार्य निष्पादन में उत्कृष्टता प्राप्त की जा सके।

सरकार का उत्तर

अभिलेख का विषय होने के कारण कोई विशिष्ट टिप्पणी नहीं है। हालांकि, यह सूचित किया जाता है कि की तुलना में 464 की स्थिति के अनुसार टिप्पणी में उल्लिखित संख्या 2021 मार्च 10 है। 450 एचएएल की वर्तमान जनशक्ति

रसायन]एवं उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग)का-2021/1/39013 संख्या .ज्ञा.पीएसयू दिनांक [22.07.2021

एचएएल की सहायक कंपनियां

(सिफारिश क्रम संख्या 7)

2. समिति ने देखा कि एचएएल की दो सहायक कंपनियाँ हैं: (i) मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (एम एस डी पी एल), और (ii) महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (एम ए पी पी)। एम एस डी पी एल एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है जिसे 1989 में एम ए एन आइ डी ओ के माध्यम से एच ए एल और मणिपुर सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। कंपनी इम्फाल में स्थित है। एम एस डी पी एल में एच ए एल और एम ए एन आइ डी ओ की शेयरहोल्डिंग क्रमशः 51% और 49% है। मणिपुर राज्य में कानून और व्यवस्था की समस्या और वित्तीय कठिनाइयों के कारण, एम एस डी पी एल परियोजना पूरी नहीं हो सकी। एम एस डी पी एल की वर्तमान स्थिति यह है कि यह 1998 से बंद है और 09.01.2017 को कैबिनेट ने सहायक कंपनी को प्रथक करने का फैसला किया। हालांकि, निदेशक मंडल को अभी कैबिनेट के फैसले के कार्यवाही सारांश को अपनाना बाकी है। 1998-99 से 2017-18 की अवधि के लिए एमएसडीपीएल के खातों को अंतिम रूप दे दिया गया है और एमएसडीपीएल की अंतिम बोर्ड बैठक 17 अप्रैल 2018 को आयोजित की गई थी। महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (एमएपीएल) जैसी एक अन्य सहायक कंपनी को 1979 में महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ सिकॉम और वित्तीय संस्था आईडीबीआई के माध्यम से शामिल किया गया था। यह कंपनी 95 वर्ष

के पट्टे के साथ लगभग 12.5 एकड़ जमीन पर हिंगाना एमआईडीसी, नागपुर में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में थी। एमएपीएल में आईडीबीआई की हिस्सेदारी 8% है और सिकॉम की 33% है और बाकी 59% हिस्सेदारी एचएएल के पास है। शुरू से ही एमएपीएल को वर्किंग कैपिटल की समस्याओं के कारण घाटा उठाना शुरू हो गया था। बाद में, 04.09.2000 को बीआईएफआर द्वारा एमएपीएल को एक रुग्ण औद्योगिक इकाई घोषित किया गया। एचएएल ने फरवरी 2015 में भेषज विभाग के सचिव को एक पुनरुद्धार योजना प्रस्तुत की। एमएपीएल की वर्तमान स्थिति के बारे में एचएएल ने बताया कि कैबिनेट ने 09.01.2017 के अपने पत्र के माध्यम से एमएपीएल को अलग इकाई बनाने का फैसला किया है। इस मामले में निदेशक मंडल को अभी भी कैबिनेट के फैसले के कार्यवाही सारांश को अपनाना है। ज्ञात हो कि एनबीसीसी को भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) नियुक्त किया गया है और एमएसटीसी को नीलामी एजेंसी (एए) नियुक्त किया गया है। एचएएल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बिक्री कर प्राधिकारियों को 6 करोड़ रुपये के लंबित बकाये के अलावा एमएपीएल के पास सिकॉम के 21.66 करोड़ रुपये, आईएफसीआई के 76.50 लाख रुपये और आईडीबीआई के 1.30 करोड़ रुपये बकाया हैं। वर्तमान में एमएपीएल में कोई कर्मचारी नहीं है और कंपनी 2003 से बंद है। समिति पाती है कि एचएएल की इन 02 सहायक कंपनियों ने एचएएल के व्यवसाय में कोई सकारात्मक योगदान नहीं दिया है बल्कि विभिन्न मुद्दों को निपटाने में होल्डिंग कंपनी के समय और ऊर्जा को लगाया है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि इन दोनों सहायक कंपनियों का अलग अस्तित्व करने हेतु जल्द से जल्द कैबिनेट के फैसले को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। उनके खातों का निपटारा उनकी परिसंपत्तियों और देनदारियों के समायोजन के साथ किया जा सकता है और भूमि, नकदी और इन्वेंटरी के मामले में परिसंपत्तियों के जो भी उपार्जन या प्राप्तियां एचएएल के हिस्से में आती हैं, इसका उपयोग एचएएल के व्यापार संचालन को मजबूत करने के लिए किया जाना चाहिए। समिति इस संबंध में समयबद्ध कार्रवाई की सिफारिश करती है।

सरकार का उत्तर

दोनों अनुषंगियों को बंद किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। (एमएसडीपीएल और एमएपीएल)

(औषध विभाग) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय]का-2021/1/39013 संख्या .ज्ञा.पीएसयू दिनांक [22.07.2021

क्षमता उपयोग

(सिफारिश क्रम संख्या 8)

3. समिति नोट करती है कि 2016-17 के बाद से एचएएल के विभिन्न फार्मा और एग्रो केमिकल उत्पादों का क्षमता उपयोग धीरे-धीरे बढ़ रहा है। समिति द्वारा उन्हें सौंपे गए आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि टैबलेट के मामले में क्षमता उपयोग 2016-17 में 0.89 प्रतिशत से

बढ़कर 2018-19 में 43.46 प्रतिशत हो गया। कैप्सूल के मामले में, यह 2016-17 के 0.53% से बढ़कर 2018-19 में 7.8% हो गया। इसी प्रकार आईवीएफ के मामले में यह 2016-17 के 0 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 4.97 प्रतिशत हो गया और एग्रो-केमिकल के मामले में यह 2016-17 के 20.11 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 51.47 प्रतिशत हो गया। तथापि, समिति पाती है कि शीशियों (वायल) के मामले में प्रतिशत क्षमता उपयोग जो 2016-17 में 0.98% था वह 2017-18 में बढ़कर 6.39% हो गया, लेकिन वर्ष 2018-19 में घटकर 6.34% हो गया। कंपनी ने कहा है कि इन उत्पादों की क्षमता को आवश्यकता के आधार पर बढ़ाया जा सकता है क्योंकि एचएएल के पास प्रयोगरहित बड़े आकार की किण्वन (फ़र्मेंटेशन) सुविधाएं हैं। समिति को यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि एचएएल अपने दवा निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता उपयोग को धीरे-धीरे बढ़ाने में सफल रहा है और आशा करती है कि एचएएल इस गति को जारी रखेगा ताकि अधिकतम क्षमता उपयोग स्तर को प्राप्त किया जा सके और निकट भविष्य में संयंत्र को इष्टतम स्तर तक चलाया जा सके।

सरकार का उत्तर

एचएएल अपने विभिन्न संयंत्रों की क्षमता उपयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। संस्थागत विपणन के अलावा बिक्री को बढ़ावा देने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

(औषध विभाग) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय]का-2021/1/39013 संख्या .ज्ञा.पीएसयू दिनांक [22.07.2021

मानव संसाधन

(सिफारिश क्रम संख्या 11)

4. समिति नोट करती है कि वर्तमान में एचएएल 2 शाखा कार्यालयों और 8 सीएंडएफ के साथ काम कर रहा है जो संबंधित राज्यों के क्षेत्रीय कार्यालयों के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, उन्होंने पूरे भारत में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के तहत 31 संपर्क एजेंट और 27 अस्पताल वितरकों की नियुक्ति की है। चूंकि एचएएल घाटे में चल रही थी, इसलिए कंपनी छठे वेतन आयोग को लागू नहीं कर सकी जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों का वेतन समान उद्योगों में उनके समकक्षों की तुलना में बहुत कम हुआ। इसके कारण एचएलन तो प्रतिभाओं को सहेज कर रख पाता है और न ही नई प्रतिभाओं को आकर्षित कर पाता है। एचएल की जनशक्ति की स्वीकृत संख्या 1724 है। समिति ने यह पाया है कि आजकल अधिकांश कामकाज न्यूनतम मानव श्रम के साथ मशीनों की सहायता से किया जा रहा है। अतः समिति सिफारिश करती है कि ऐसे में एचएएल को अपने विनिर्माण कार्यों और अन्य विभागों में व्यापक यंत्रीकृत प्रक्रियाओं को शुरू करने की संभावनाएं तलाशनी चाहिए ताकि तैयार उत्पादों की गुणवत्ता सुधरे और प्रशासनिक लागतों तथा अन्य देनदारियों में अधिकतम कटौती की जा सके।

सरकार का उत्तर

एचएएल एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्रक् सिस्टम को लागू करने की (ईआरपी)रिया में है जिससे प्रशासनिक दक्षता में काफी सुधार होगा। साथ ही, सभी उत्पादन संचालन न्यूनतम मानव हस्तक्षेप के साथ अत्यधिक मशीनीकृत हैं, जिससे गुणवत्ता वाले तैयार उत्पाद उपलब्ध किए जाते हैं।

(औषध विभाग) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय]का पीएसयू-2021/1/39013 संख्या .ज्ञा.दिनांक [22.07.2021

बिक्री और विपणन

(सिफारिश क्रम संख्या 12)

5. समिति नोट करती है कि वर्तमान में एचएएल अधिकांशतः सरकारी संगठनों अर्थात्, रक्षा संस्थानों, सरकारी मेडिकल स्टोर डिपार्टमेंट्स, ईएसआईसी अस्पतालों, सीपीएसयू, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न राज्यों की स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और देश की कृषि क्षेत्र इत्यादि को उत्पादों की आपूर्ति कर रहा है। एचएएल की बिक्री मोटे तौर पर पीपीपी मॉडल वाली संस्थागत बिक्री पर निर्भर है। पीपीपी कारोबार पर निर्भरता को कम करने के लिए चलने निम्नलिखित तरीके अपनाएं हैं : (1) उत्पाद आपूर्ति श्रृंखला को सहारा देने के वितरकों सी एंड एफ एजेंट्स और शाखाओं के स्थापित वितरण नेटवर्क के माध्यम से व्यापार बिक्री में वृद्धि करना (2) अधिक मूल्य वाले और उच्च मुनाफे वाले नए उत्पादों को शामिल करना और उन उत्पादोन को चरणबद्ध तरीके से हटाना जो अपने जीवन चक्र के अंतिम छोर पर हैं (3) उच्च मुनाफे वाले मौजूदा उत्पादों की बिक्री को बढ़ाना लागत में कटौती के साथ संस्थागत व्यवसाय में प्रतिस्पर्धात्मक बनाना (5) उच्च संभावनाओं और बेहतर मुनाफे वाले कृषि पशु कारोबार का विस्तार करना और (6) बढ़ते हुए निर्यात बाजार पर कब्जा करना क्योंकि विनिर्माण सुविधाएं डब्ल्यूएचओ जीएमपी के अनुरूप होंगी। समिति नोट करती है कि इन वर्षों में एचएएल ने अपनी त्वरित और नियमित आपूर्ति के कारण संस्थाओं का विश्वास जीता है और अनेक संस्थाओं से संतोषप्रद आपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और इसलिए ऑर्डर मिलने मे बढ़ोतरी हुई है। इसने अपने विपणन नेटवर्क को सुदृढ़ बनाया है और व्यावसायिक थोक वितरकों और संपर्क एजेंटों की नियुक्ति की है जिनका इंडेंटिंग अधिकारियों के साथ अच्छा तालमेल होता है जिसके परिणाम स्वरूप एचएएल के पक्ष में ऑर्डर मिले हैं इसके अतिरिक्त चलने जीएम गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पोर्टल पर अपना विक्रेता के रूप में पंजीकरण कराया है और यह बताया गया है कि उसको विभिन्न सरकारी संस्थानों से व्यापक विविधता वाले उत्पादों के बड़ी संख्या में ऑर्ड्र मिले हैं। भारत सरकार ने एल्कोहलिक हैंड डिसइनफेक्टेंट (एएचडी) सहित 104 उत्पादों हेतु औषध खरीद नीति पीपीपी को भी विस्तारित किया है और एचएएल एकमात्र सीपीएसई है जिसके पास एचडी हेतु आवश्यक निर्माण सुविधा है सीपीएसयू हेतु एसआईसी मूल्य संविदा को भी दिनांक 1.12.2019 से बढ़ा दिया गया है जो

विभिन्न ईएसआईसी अस्पतालों में एचएएल को ऑर्डर दिलवाने में सहायक होगा। जैसा कि समिति को बताया गया है कि व्यवसाय की इन नीतियों ने पिछले वर्ष की तुलना में शतप्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2018-19 में 67 करोड़ रुपए से भी अधिक की बिक्री का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता की है अपने विकास के लिए एचएएल भविष्य में भी ऐसी ही व्यवसायिक नीति अपनाने की योजना बना रहा है।

सरकार का उत्तर

एचएएल मुख्य रूप से पीपीपी नीति, ईएसआईसी दर अनुबंध आदि के तहत संस्थागत बाजार की आपूर्ति करने वाली दवाओं का लाभ उठाता है। ऑर्डर प्राप्त करने और बिक्री कारोबार बढ़ाने के लिए, एचएएल ने 8 ढुलाई और अग्रेषण एजेंटों, 23 वितरकों और 27 संपर्क एजेंटों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अखिल भारतीय नेटवर्क का विनिर्माण किया है। उत्पादों की समय पर डिलीवरी के लिए लॉजिस्टिक क्षेत्र को भी सुव्यवस्थित किया गया है।

के दौरान 21-2020, कंपनी का बिक्री कारोबार करोड़ रुपये हो गया। 95.00 प्रतिशत बढ़कर 44 में और भी अधिक वृद्धि की आशा करते हुए 22-2021 वर्ष, एचएएल अन्य बाजारों जैसे निजी नर्सिंग होम और खुले बाजारों में प्रवेश करने की योजना बना रहा है।

रसायन एवं उर]्वरक मंत्रालय (औषध विभाग)का-2021/1/39013 संख्या .ज्ञा.पीएसयू दिनांक [22.07.2021

(सिफारिश क्रम संख्या 13)

6. समिति नोट करती है कि एचएएल ने मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानी) के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है जोकि हैदराबाद तेलंगाना में 1973 में स्थापित की गई एक आईएसओ 9001 2008 प्रमाणन प्राप्त कंपनी है। इसका उच्च प्रौद्योगिकी से युक्त एक धातु उद्योग से संबंधित संयंत्र है जो टाइटेनियम बायोप्लांट्स का निर्माण करता है तथा अपेक्षा करता है कि मिधानी द्वारा निर्मित बायोमेडिकल इंप्लांट्स की आपूर्ति के वितरण नेटवर्क के माध्यम से की जा सकती है और इससे दोनों सीपीएस यूज के लिए राजस्व अर्जित हो सकता है। समिति आशान्वित है कि अपनाई गई विपणन व्यावसायिक नीतियों और पीपीपी व्यवसाय पर निर्भरता को कम करने के लिए किए गए प्रयासों और मिधानी के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के साथ-साथ किए गए अन्य उपायों के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे और एचएल भविष्य में अपनी बिक्री और लाभों में उल्लेखनीय सुधार करेगा।

सरकार का उत्तर

चूंकि एचएएल टाइटेनियम बायोइम्प्लांट्स के क्षेत्र में एक नया प्रवेशक है, एचएएल की वितरण प्रणाली के माध्यम से मिधानी द्वारा विनिर्मित टाइटेनियम बायोइम्प्लांट्स की आपूर्ति को स्थापित

होने में कुछ समय लगेगा। यद्यपि, उपरोक्त प्रबंधन के लिए मिश्रा धातु निगम लिमिटेड (मिधानी) आगे भी जारी रहेगा। (एमओयू) के साथ समझौता ज्ञापन

(औषध विभाग) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय]का-2021/1/39013 संख्या .ज्ञा.पीएसयू दिनांक [22.07.2021

पीएमबीजेपी के माध्यम से बिक्री

(सिफारिश क्रम संख्या 14)

7. समिति ने देखा कि सभी को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन, और उर्वरक मंत्रालय द्वारा प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषध परियोजना (पीएमबीजेपी) का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीआईके) जेनेरिक दवाएं प्रदान करने के लिए खोले गए हैं। विशेष रूप से गरीबों और वंचितों तथा आबादी के सभी वर्गों के लिए गुणवत्ता वाली दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के अलावा, परियोजना का उद्देश्य पीएमबीजेपी केंद्रों की स्थापना के द्वारा व्यक्तिगत उद्यमियों को शामिल करके रोजगार पैदा करना भी है। योजना के तहत प्रमुख चिकित्सीय श्रेणियों में 800 से अधिक दवाओं और 154 सर्जिकल और उपभोग्य सामग्रियों को शामिल किया गया है, जैसे कि एंटी-इफेक्टिव, एंटी-एलर्जी, एंटी-डायबिटीज, कार्डियोवस्कुलर, एंटी-कैंसर, गैस्ट्रो इंटेस्टीनल दवाएं, आदि। 15.11.2018 की स्थिति के अनुसार 4410 पीएमएनजेपी केंद्र देश के 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्य कर रहे थे। समिति को बताया गया कि एचएएल ने वर्ष 2011-2012 से 2015-16 तक लगभग 2.87 करोड़ रुपए के अपने उत्पादों की जनऔषधि केंद्रों को आपूर्ति की थी। हालांकि, बाद में, एचएएल को जनऔषधि केंद्रों से ऑर्डर नहीं मिल सके। जनऔषधि केंद्रों को दवा की आपूर्ति के लिए फार्मा सीपीएसयू को दी गई किसी भी वरीयता के बारे में पूछे जाने पर फार्मास्यूटिकल्स विभाग (डीओपी) ने स्पष्ट किया कि पीएमबीजेपी, फार्मास्यूटिकल विभाग (डीओपी) के फार्मा सीपीएसयू अर्थात् ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया (बीपीपीआई) द्वारा गठित एक सोसाइटी द्वारा लागू किया गया है। एचएएल के प्रबंध निदेशक तथा अन्य सीपीएसयू के सीएमडी/एमडी इस बीपीपीआई की शासी परिषद के सदस्य हैं। बीपीपीआई केंद्रीय खरीद पोर्टल के माध्यम से खुली ई-टेंडर द्वारा पीएमबीजेके में बिक्री के लिए दवाओं और अन्य उत्पादों की खरीद करता है। इस प्रकार, एल 1 बोलीदाता जो तकनीकी रूप से योग्य हैं, उन्हें एक विशेष अवधि के लिए दवाओं की आपूर्ति के लिए दर संविदा दिया जाता है। तथापि ई-टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए केंद्रीय फार्मा सीपीएसयू को आवश्यकता नहीं है। उन्हें दर संविदा दिया जा सकता है बशर्ते वे एल 1 दरों से मेल खाते हों। इसके अलावा, अन्य विक्रेताओं के लिए डब्ल्यूएचओ-जीएमपी प्रमाणन की न्यूनतम आवश्यकता केंद्रीय फार्मा सीपीएसयू के लिए अनिवार्य नहीं है। बीपीपीआई केंद्रीय फार्मा सीपीएसयू के साथ खरीद दर के साथ अपनी उत्पाद की सूची भी साझा करता है और उनसे सीधे उत्पादों की आपूर्ति करने का अनुरोध करता है। इसके अलावा, यह

विभाग की फार्मास्यूटिकल खरीद नीति (पीपीपी) के तहत कवर किए गए सार्वजनिक उपक्रमों को भी वरीयता देता है और उन्हें खरीद के लिए भुगतान में भी प्राथमिकता दी जाती है। समिति पीएमबीजेपी में केंद्रीय फार्मा सीपीएसयू को दी गई विभिन्न वरीयता और छूटों को ध्यान देते हुए यह समझ पाने में असमर्थ हैं कि 2016-17 के बाद से एचएएल ने जनऔषधि केंद्रों को अपने उत्पादों की आपूर्ति क्यों नहीं की, हालांकि इसने वर्ष 2011-12 से 2015-16 की आवधि के दौरान 2.87 करोड़ रुपए के उत्पादों की आपूर्ति की थी। समिति का यह दृढ़ मत है की वाणिज्यिक संगठन को बेहतर वित्तीय विकास प्राप्त करने के लिए इसकी बिक्री और विपरण विभाग को विभन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्टीय ग्राहकों से क्रय देश प्राप्त करने हेतु सक्रिय होना चाहिए था और वर्तमान मामले में पिछले कई वर्षों के लिए पीएमबीजेपी के तहत आदेश प्राप्त न करना ढिलाई दर्शाता है। अतः समिति सिफारिश करती है कि एचएएल को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों में उपलब्ध विभिन्न अवसरों के माध्यम से अपनी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए बहु-आयामी बिक्री और विपणन रणनीति अपनानी चाहिए। समिति इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।

सरकार का उत्तर

एचएएल अब तक मुख्य रूप से फार्मा कारोबार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यद्यपि, बिक्री की मात्रा बढ़ाने के लिए, एचएएल ने निम्नलिखित में कदम रखा है:

(i) स्वच्छता उत्पादों जैसे हेलरब, हेल्थ कियोस्क और हैंड सैनिटाइजेशन, डिस्पेंसर का विकास करना,

(ii) मेरोपेनेम/टेल्मिसर्टन के लिए थोक निर्माण सुविधा की स्थापना।

(iii) आईवीएफ उत्पादों को बढ़ावा देना क्योंकि यह एकमात्र सीपीएसई है जिसके पास इसकी विनिर्माण सुविधा है।

उपरोक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप, एचएएल ने बताया है कि वह चालू वित्त वर्ष के लिए 21-2020 का बिक्री कारोबार हासिल करने के लिए तैयार है। (लगभग) करोड़ रुपये 100

(औषध विभाग) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय]का-2021/1/39013 संख्या .ज्ञा.पीएसयू दिनांक [22.07.2021

अध्याय तीन

टिप्पणियाँ/सिफ़ारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती है

एचएएल- अब तक की यात्रा

(सिफारिश क्रम संख्या 2)

1. समिति नोट करती है कि हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने अपने अस्तित्व के पिछले 65 वर्षों के दौरान कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। कंपनी जो अपने शुरुआती 20 वर्षों की अवधि के दौरान लाभ कमा रही थी, उसमें वर्ष 1973-74 में पहली बार उसे घाटा हुआ था। समिति का मानना है कि वर्ष 1973-74 में एचएएल के अचानक घाटे में जाने का मुख्य कारण एक तरफ पेट्रोलियम की कीमतों में उछाल था और दूसरी तरफ दवाओं की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। समिति हालांकि सरकार की नीति की सराहना करती है कि सरकारी अस्पतालों और आम जनता के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों में वृद्धि नहीं की गई है, लेकिन समिति का दृढ़ मत है कि सरकार उस संकट के दौरान एक प्रभावी प्रतिपूरक तंत्र विकसित कर सकती थी जो कंपनी को लगातार होने वाले घाटे से बचा सकती थी।

सरकार का उत्तर

यह उल्लेख किया जा सकता है कि 1983, 1988 और 1994 में प्रदान की गई तीन पूंजी पुनर्गठन योजनाओं के बावजूद, वर्ष 1997 में कंपनी को बीआईएफआर को संदर्भित करते हुए औपचारिक रूप से रुग्ण घोषित किया गया था। भारत सरकार ने मार्च 2006 में करोड़ रुपये की 137.59 नकद सहायता और करोड़ 267.57रुपये की गैरनकद सहायता के- साथ चौथे पुनर्वास को मंजूरी दी थी। इसके बाद, फिर से दिसंबर, 2018-19 में, सरकार ने अपने ऋण और ब्याज की राशि 307.23 करोड़ रु (मूलधन 186.96 करोड़ रु. और ब्याज 120.27 करोड़ रु.) माफ किएऔर , विभिन्न बकाया राशि 128.68 करोड़ रु की .मोहलत दी और दैनिक मजदूरी, वेतन और अन्य महत्वपूर्ण खर्चों को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया। वर्ष 2019-20 के दौरान कर्मचारियों के लंबित वेतन और वीआरएस बकाया को पूरा करने के लिए एचएएल को 280.15 करोड़ रुपये भी जारी किए गए थे।

[रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय संख्या .ज्ञा.का का 22.07.2021 का दिनांक (औषध विभाग) -2021/1/39013पीएसयू]

(सिफारिश क्रम संख्या 3)

2. समिति ने यह भी पाया कि कंपनी के बकाया ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने के लिए वर्ष 1994 में स्वीकृत एक अन्य पूंजी पुनर्गठन योजना को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि उक्त प्रस्ताव के लिए सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन में काफी समय लग गया था और जब यह कार्य प्रगति पर था, तब 1993-94 से 1996-97 की अवधि के दौरान भारी नुकसान के कारण कंपनी रुगण हो गई थी और कंपनी को 31.03.1997 से रुग्ण घोषित कर दिया गया था। इस प्रकार, 1994 की पूंजी पुनर्गठन योजना को लागू नहीं किया जा सका और इसे बीआईएफआर द्वारा विचाराधीन पुनर्व्यस्थापन सथापन पैकेज का अभिन्न अंग बना दिया गया। समिति ने पाया की एच ए एल को 1997 में ही बीआईएफआर को संदर्भित किया गया था, फिर भी पुनरुद्धार योजना को वर्ष 2007 में मंजूरी दी जा सकी, अर्थात कंपनी को रुग्ण घोषित किए जाने के लगभग 10 वर्षों के बाद। इस बीच, कार्यशील पूंजी की कमी और थोक उत्पाद संयंत्रों, सेवा एवं सेवा विभागों को चलाने के लिए प्रशासनिक और अतिरिक्त लागत के कारण कंपनी की वित्तीय परेशानियाँ बढ़ गई। 2007 के पुनरुद्धार पैकेज के तहत अतिरिक्त भूमि की प्रस्तावित बिक्री को मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 तक अनुमोदित नहीं किया गया था, हालांकि राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं सहित अन्य बोलीदाताओं से अच्छी दरों का प्रस्ताव किया गया था जिसके कारण कंपनी के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जो इस बात से स्पष्ट है कि कुल उत्पादन मूल्य जो 2006-07 में लगभग 50 करोड़ रुपये था और जो वर्ष 2007-08 में बढ़कर 140 करोड़ रुपये और वर्ष 2008-09 में 149 करोड़ रुपये हो गया था, लेकिन वर्ष 2016-17 में मात्र 11.36 करोड़ रुपये रह गया था। समिति ने देखा कि भारत में निर्मित पेनिसिलिन की कीमतें आयातित पेनिसिलिन की तुलना में बहुत अधिक होने से एचएएल की स्थिति और खराब हो गई। समिति यह कहने के लिए बाध्य है कि हालांकि सरकार में एचएएल की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाए रखने की क्षमता थी लेकिन निर्णय लेने में विलंब तथा कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य को प्रभावित करने संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने में अपर्याप्त कार्रवाई के कारण यह अवसर गँवा दिया।

सरकार का उत्तर

जैसा कि टिप्पणी संख्या 2 के उत्तर में कहा गया है, यह दोहराया जाता है कि विभाग ने एचएएल के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार के लिए गंभीर कदम उठाए, लेकिन 1983, 1988 और 1994 में तीन पूंजी पुनर्गठन योजनाओं के बावजूद, एचएएल कंपनी को औपचारिक रूप से रुग्ण घोषित किया गया था और वर्ष 1997 में बीआईएफआर को संदर्भित किया गया।

[रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय संख्या .ज्ञा.का का 22.07.2021 का दिनांक (औषध विभाग) -2021/1/39013पीएसयू]

अनुसंधान और विकास (अनुसंधान और विकास) पहल

(सिफारिश क्रम संख्या 9)

3. समिति नोट करती है कि एचएएल के आरएंडडी डिवीजन को पौधों के विभिन्न फंगल और जीवाणु रोगों को नियंत्रित करने वाली कृषि में उपयोग के लिए दो एंटीबायोटिक्स अर्थात् हैमाइसिन और ऑरफुंगिन की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। एचएएल ने पूर्व के साथ-साथ 2018-19 में फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और पशु चिकित्सा उत्पादों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को अंजाम दिया है। इनमें शामिल हैः (i) नए फॉर्मूलों का विकास जिसमें बाजार की जरुरतों के अनुसार एंटी-इनफ्लेमेटरी, एंटी-हिस्टेमिक और एंटी-इंफेक्टिव दवाएं शामिल हैं, (ii) मानक आकार के नारकोटिक ड्रग डिटेक्शन किट, प्रिकर्सर केमिकल्स डिटेक्शन किट और केटामाइन डिटेक्शन किट का परिष्करण और विनिर्माण, (iii) तपेदिक रोधी ड्रग किट का विकास, (iv) मौजूदा दवा निर्माण लागत को किफायती बनाना (v) गैर-स्टरलिट पेनीसिलेस का उत्पादन, (vi) पोटाश घोलक बैक्टीरिया और एनकेपी फार्मूलेशन को पुनः आरंभ करना। (vii) ऑरेयोफुंगिन का उत्पादन फिर से शुरू करना, (viii) हुमौर का उत्पादन का पुनः शुरू करना आदि। समिति को पता चला है कि आरएंडडी एचएएल की मुख्य क्षमता है। तथापि समिति ने पाया है कि कंपनी के 'रणनीतिक बिक्री' टैग और अनिश्चित भविष्य के कारण, अनुसंधान और विकास गतिविधियों को गति नहीं मिल रही है। समिति का मानना है कि अनुसंधान और विकास पहलों के सकारात्मक परिणाम तत्काल परिलक्षित नहीं हो सकते हैं लेकिन इन गतिविधियों का प्रभाव दीर्घकाल में कंपनी के प्रदर्शन, लागत प्रभावशीलता और मुनाफे में वृद्धि के रूप में पड़ता है। समिति का मानना है कि फार्मा उद्योग एक गतिशील क्षेत्र होने के नाते स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में अप्रत्याशित आयामों के साथ लगातार नई चुनौतियों का सामना करता है जिसके लिए इस तरह के संकट से निपटने हेतु समय पर आविष्कार और नए फार्मुलेशन विकसित करने के लिए एक मजबूत अनुसंधान और विकास आधार की आवश्यकता होती है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि अनुसंधान और विकास गतिविधियों को पर्याप्त और योग्य पेशेवरों तथा बेहतर अवसंरचना के साथ सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि संगठन के व्यावसायिक प्रचलन संकट के समय में कठिनाइयों को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित और समय-उन्मुख हों।

सरकार का उत्तर

एचएएल की प्रस्तावित रणनीतिक बिक्री और नकारात्मक निवलमूल्य होने पर वित्तीय बाधाओं के -कारण एचएएल ने अपनी अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना को अद्यतन बनाने या इस प्रयोजनार्थ नए योग्य व्यवसायियों की भर्ती करने के लिए कोई कदम नहीं उठाएं हैं।

[रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय संख्या .ज्ञा.का का 22.07.2021 का दिनांक (औषध विभाग) -2021/1/39013पीएसयू]

कार्यान्वित परियोजनाएं और भविष्य की योजना

(सिफारिश क्रम संख्या 10)

4. समिति नोट करती है कि एचएएल ने नई सेफेलोस्पोरिन पाउडर इंजेक्शन सुविधाओं की स्थापना पूरी कर ली है जिसे जुलाई 2010 में डब्ल्यूएचओ-जीएमपी प्रमाणन से प्रत्यायित किया गया था। एचएएल ने बीटालैक्टम और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का उन्नयन कार्य भी पूरा कर लिया है और यह डब्ल्यूएचओ-जीएमपी निरीक्षण के लिए तैयार है। नॉन-पेरेंटल फैसिलिटी को 2020-21 को दौरान डब्ल्यूएचओ-जीएमपी अनुपालन में अपग्रेड करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा, एचएएल ने कंपनी के लिए और अधिक धन जुटाने के लिए कई सुविधाओं के उन्नयन की भी योजना बनाई है जिसमें शामिल हैः (i) टेलमिसर्टिन, मेरोपेनम और गैबपेंटिन जैसी दवाओं के बड़ी मात्रा में उत्पादन की सुविधा जहां उनकी उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष क्रमशः 100 एमटी, 24 एमटी और 117 एमटी हो, (ii) अल्कोहलिक हैंडरब कीटाणुनाशक के लिए अत्याधुनिक सुविधा, एकमात्र सीपीएसयू जिसके पास ऐसी सुविधा है, (iii) एचएएल क्लाउड क्लिनिक नाम से स्वास्थ्य कियोस्क का निर्माण और आपूर्ति जो अन्य मानकों के साथ-साथ रक्तचाप, रक्त शर्करा, ऑक्सीजन स्तर जैसे 23 स्वास्थ्य मानकों को मापता है, (iv) टचलेस सैनिटाइजर का निर्माण और आपूर्ति जो किसी व्यक्ति के तापमान को मापता है और यदि सीमा के भीतर पाया जाता है, तो स्वचालित रूप से हाथों पर सैनिटाइजर को वितरित करता है, (v) कोविड-19 से संबंधित विभिन्न उत्पादों जैसे पीपीई किट, फेस शील्ड, दस्ताने, एन-95 रेस्पिरेटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर आदि की आपूर्ति, और (vi) आईवीएफ संयंत्र को फिर से शुरू करना। समिति को उम्मीद है कि थोक में एपीआई के स्वदेशी विनिर्माण से सरकार की महत्वाकांक्षी पहल 'मेक इन इंडिया' को आगे बढ़ाने में काफी सहायता मिलेगी और थोक दवाओं/एपीआई के निर्माण के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना में एचएएल की भागीदारी निश्चित रूप से कंपनी की वित्तीय स्थिति को बदलने के लिए एक ठोस कदम होगा।

सरकार का उत्तर

एचएएल मेँ अपने पिंपरी वर्क्स में मेरोपेनेमटेल्मिसर्टन के निर्माण के लिए सुविधा स्थापित करने / की प्रक्रियाचल रही है और इसके अगस्त, तक चालू होने की संभावना है। एचएएल ने 21 प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में भागीदारी के लिए आवेदन किया था। हालांकि, आवश्यक निवेश के लिए बैंकों से पूंजी जुटाने में सीमा के कारण निवल मूल्य नकारात्मक होने के फलस्वरूप, पीएलआई योजना के लिए एचएएल पर विचार नहीं किया गया है।

[रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय संख्या .ज्ञा.का का 22.07.2021 का दिनांक(औषध विभाग) -2021/1/39013पीएसयू]

अध्याय-चार

सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराये जाने की आवश्यकता है।

(सिफारिश क्रम संख्या 4)

5. समिति द्वारा तथ्यों के विश्लेषण से पता चलता है कि विभिन्न कारणों अर्थात पेट्रोलियम की कीमतों में उछाल, उत्पादन की लागत में वृद्धि के अनुरूप औषधियों की कीमतों में परिवर्तन न करना, ब्याज का बोझ, 1997 के बाद पुनरुद्धार पैकेज के लिए लगभग 10 वर्षों की देरी, अतिरिक्त भूमि के मुद्रीकरण में विलंब, सेवाओं की उच्च लागत, सस्ती दरों पर आयातित दवाओं की उपलब्धता आदि से एचएएल को निरंतर हानि हुई और एचएएल हानि के दुष्चक्र में फंस गया। समिति का सुविचारित मत है कि यह अकेले कंपनी से जुड़ा विशिष्ट मुद्दा नहीं है, जिस के कारण कंपनी इस स्थिति में पहुंची। बल्कि ऐसा विभिन्न बाहरी कारणों के संचित परिणाम के कारण हुआ था जिसके कारण एचएएल की वित्तीय स्थिति खराब हो गई। समिति को आशा है कि अब सरकारी तंत्र सभी आवश्यक उपाय करेगा ताकि निकट भविष्य में देश में एक मजबूत थोक औषधि उत्पादक के लिए एचएएल को पुनरूद्धार किया जा सके।

सरकार का उत्तर

मंत्रिमंडल ने को 28.12.2016, अन्य बातों के साथसाथ-, एचएएल की रणनीतिक बिक्री का निर्णय लिया है। इससे पहले समिति के निर्देशानुसार, एचएएल, बीसीपीएल और केएपीएल के रणनीतिक विनिवेश का मामला नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के साथ पुनर्विचार के लिए उठाया गया था। हालांकि, नई पीएसई नीति, में 2021यह ध्यान में रखते हुए कि औषध उद्योग में निजी क्षेत्र अच्छी तरह से विकसित है और दवा सुरक्षा को पूरा करने में सक्षम है, फार्मा पीएसयू को, चार रणनीतिक क्षेत्रों में शामिल नहीं किया गया है।

,(औषध विभाग) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय]का-2021/1/39013 संख्या .ज्ञा.पीएसयू दिनांक [22.07.2021

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक के पैरा 26 से 31 देखें)

एचएएल-सुधार की राह पर

(सिफारिश क्रम संख्या 5)

6. समिति ने देखा कि दिसंबर 2016 में एचएएल को निधि मुहैया कराने की प्रक्रिया में, सरकार ने एचएएल का 307.23 करोड़ का ऋण और ब्याज (186.96 करोड़ रुपये का मूल तथा 120.27 करोड़ रुपये का ब्याज) माफ कर दिया, 128.68 करोड़ रुपये के लिए विभिन्न देय राशि को आस्थगित किया और मजदूरी, वेतन और अन्य महत्वपूर्ण खर्चों को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपये का ऋण भी स्वीकृत किया। समिति ने देखा कि पिछले चार वर्षों के लिए बिक्री कारोबार में वृद्धि हुई है यह 2016-17 में 10.73 करोड़ रुपये, 2017-18 में 35.21 करोड़ रुपये, 2018-19 में 66.85 करोड़ रुपये और 2019-20 में 61.25 करोड़ रुपये था। बिक्री कारोबार, पिछले चार वर्षों में छह गुना बढ़ गया है। हालांकि, समिति ने ध्यान दिया कि लगभग 70 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का नुकसान उच्च विद्युत लागत तथा मजदूरी और वेतन के भुगतान के कारण हुआ है। कारोबार बढ़ाने के अपने प्रयासों के रूप में, कंपनी ने कई पहलें की हैं जैसे (i) पशु चिकित्सा खंडों में प्रवेश, (ii) कृषि खंडों में उत्पादन फिर से शुरू करना, (iii) एच ए एल आर यू बी, स्वास्थ्य कियोस्क और हाथ स्वच्छता डिस्पेन्सर जैसे स्वच्छता उत्पाद विकसित करना (iv) अद्वितीय मद विकसित करना : (क) एंटी - फ्रीज सलाइन (ग्लिसरीन के साथ सलाइन) जो सियाचिन जैसे उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है, और (ख) नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के लिए नारकोटिक डिटेक्शन किट, आदि। समिति ने देखा कि इसकी कई योजनाएं जैसे (i)) थोक विनिर्माण सुविधा की स्थापना जिसमे लगभग 50 से 60 टन प्रति माह की प्रारंभिक विनिर्माण क्षमता के साथ एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट का उत्पादन, (ii) सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को पूरा करने के लिए पेनिसिलिन वी गोलियों का विनिर्माण, (iii) एक एपीआई पेन्सिलिन जी संयंत्र का आधुनिकीकरण - कंपनी के भविष्य के बारे में अनिश्चितता के कारण रुका हुआ है। समिति को आशा है कि एचएएल के हित में उचित निर्णय बहुत जल्द सरकार द्वारा लिया जाएगा ताकि एचएएल को अपने पिछले गौरव को फिर से हासिल करने में सक्षम बनाया जा सके और एचएएल देश में थोक दवाओं की एक अग्रणी विनिर्माता के रूप में फिर से उभर सके।

सरकार का उत्तर

जैसा कि उपरोक्त निष्कर्ष संख्या के उत्तर में कहा गया है 4, मंत्रिमंडल ने दिनांक को 28.12.2016 एचएएल के रणनीतिक विनिवेश का निर्णय लिया है। तदनुसार, एचएएल के पुनरुद्धार के लिए कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है। हालांकि, सरकार ने वर्ष 307.23 में एचएएल को 19-2018 करोड़ रुपये का अपना ऋण ब्याज सहित माफ कर दिया और कर्मचारियों के लंबित वेतन और करोड़ रुपये की बजटीय सहायता 280.15 में 20-2019 कर्मचारियों की वीआरएस के लिए 380

एचएएल ने अपनी अधिशेष भूमि को मुद्रीकरण के लिए भी चिन्हित किया है ताकि प्रदान की। कंपनी के तुलन पत्र कोपूरा किया जा सके।

(औषध विभाग) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय]का-2021/1/39013 संख्या .ज्ञा.पीएसयू दिनांक [22.07.2021

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक के पैरा 26 से 31 देखें)

(सिफारिश क्रम संख्या 6)

फार्मा - रणनीतिक क्षेत्र में प्रवेश की आवश्यकता

7. समिति ने देखा कि मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की थी कि एचएएल, आईडीपीएल, आरडीपीएल और बीसीपीएल की अधिशेष भूमि को खुली प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से सरकारी एजेंसियों को बेचा जाए, और उनकी बकाया देनदारियों को बिक्री आय से पूरा किया जाए। यह भी सिफारिश की गई कि देनदारियों को पूरा करने के बाद, आईडीपीएल और आरडीपीएल को बंद कर दिया जाए और एचएएल और बीसीपीएल को रणनीतिक रूप से बेचा जाए। 17.07.2019 को मंत्रिमंडल ने अपने पहले के निर्णय को संशोधित किया और डीपीई की 14.06.2018 के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार अधिशेष भूमि की बिक्री की अनुमति दी और कर्मचारियों के लंबित वेतन और वीआरएस के भुगतान के लिए कंपनी को 280.15 करोड़ रुपये के ऋण के रूप में बजटीय सहायता भी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने संपत्ति की बिक्री और बकाया देनदारियों को पूरा करने सहित बंद/रणनीतिक बिक्री से संबंधित सभी निर्णय लेने के लिए मंत्रियों की एक समिति के गठन का भी फैसला लिया। समिति हालांकि यह देखती है कि इस बीच, नीति आयोग ने फैसला किया कि सार्वजनिक उपक्रमों को 'प्राथमिकता' उनके द्वारा की गई 'गतिविधि की प्रकृति' के आधार पर दी जाए न की 'उनके वित्तीय कार्य निष्पादन' के आधार पर। इसने इस आधार पर सार्वजनिक उपक्रमों को वर्गीकृत किया कि क्या वे राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित किसी भी रणनीतिक उद्देश्य की पूर्ति कर रहे थे, संप्रभु या अर्ध संप्रभु कार्य कर रहे थे, ऐसे महत्वपूर्ण विकास कार्य में शामिल थे, जहां निजी क्षेत्र कार्य करने में असमर्थ थे या सार्वजनिक उपयोगिता (यूटिलिटी), जहां सार्वजनिक उद्यम की उपस्थिति सार्वजनिक उद्देश्य की सेवा के लिए जरूरी थी। कोई भी पीएसयू, जो उपरोक्त चार मानदंडों में से एक को भी पूरा करता है, को 'उच्च प्राथमिकता' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। फार्मास्यूटिकल्स पीएसयू, जो उपरोक्त कार्यों में से कोई भी कार्य नहीं कर रहे थे, उन्हें कम प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था। नीति आयोग ने विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों की जांच करने के बाद, प्रत्येक पीएसयू के संबंध में पुनरुद्धार/विलय/बिक्री/राज्य सरकार को हस्तांतरित करने/बंद करने/पट्टे/रणनीतिक विनिवेश आदि के लिए सिफारिश की, लेकिन फार्मा पीएसयू के संबंध में अपनी सिफारिशें आस्थगित रखने का

फैसला किया। समिति ने देखा कि देश एक विशेष देश से काफी मात्रा में दवाओं का आयात कर रहा है। समिति की राय है कि विशेष रूप से जीवन रक्षक दवाओं के लिए एक विशेष देश से आयात पर बहुत अधिक निर्भरता वांछनीय नहीं है और इसलिए, यह राष्ट्रीय हित में है कि फार्मा क्षेत्र में कम से कम एक पीएसयू होना चाहिए ताकि देश में स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति में हम इस पर निर्भर कर सकें कहीं आपातकाल की स्थिति में स्वदेशी निजी क्षेत्र हमारी आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम न हों। अतः समिति का सुविचारित मत है कि फार्मा को एक रणनीतिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए ताकि भू-राजनीतिक कारणों और स्वास्थ्य आपात स्थिति आदि के कारण अनिश्चितताओं से उत्पन्न स्थितियों में स्वास्थ्य क्षेत्र और देश की लगभग 1.3 बिलियन जनसंख्या की अच्छी तरह से देख भाल की जा सके। इसलिए समिति सरकार से आग्रह करती है कि हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के भविष्य के बारे में अंतिम निर्णय लेने से पहले वह इन सभी कारकों पर गंभीरता से विचार करे।

सरकार का उत्तर

जैसा कि उपरोक्त टिप्पणी संख्या के उत्तर में कहा गया है 4, नई पीएसई नीति, के अनुसार 2021, औषध पीएसयू को चार रणनीतिक क्षेत्रों के भाग के रूप में नहीं माना जाता है और इनके निजीकरण किए जाने अथवा बंद किए जाने की आवश्यकता है।

(औषध विभाग) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय]का-2021/1/39013 संख्या .ज्ञा.पीएसयू दिनांक [22.07.2021

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक के पैरा 26 से 31 देखें)

एचएएल को सीपीएसयू के रूप में बनाए रखे जाने की आवश्यकता

(सिफारिश क्रम संख्या 15)

8. समिति ने देखा कि हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड देश की सबसे पुरानी सरकारी क्षेत्र की दवा कंपनी है जो 1954 में अपनी स्थापना के बाद से पिछले 66 वर्षों से देश की सेवा कर रही है। कंपनी का दुर्भाग्य वर्ष 1973-74 में शुरू हुआ जब पहली बार कंपनी का व्यवसाय, जो इन वर्षों के दौरान काफी लाभदायक रहा, पेट्रोलियम कीमतों में उछाल के कारण इसकी उत्पादन लागत में वृद्धि से कंपनी को नुकसान हुआ। कंपनी को समय पर राहत नहीं मिलने और संगठन के कुछ ढुल मुल रवैय के कारण बाद में एचएएल के कारोबार में कई उतार-चढ़ाव आए लेकिन व्यापक स्तर पर 1973-74 में सामने आई नकारात्मक प्रवृत्ति से कंपनी अभी तक उभर नहीं पाई है। यह भी दुखद है कि सरकार द्वारा कंपनी को दी गई विभिन्न वित्तीय सहायता भी एचएएल के पिछले गौरव

को बहाल करने में विफल रही और कंपनी को अपनी वर्तमान और निश्चित देनदारियों को पूरा करने में पूरी शक्ति लगानी पड़ी। आश्चर्यजनक रूप से, सुधार लाने के लिए शुरू किए गए कुछ कदमों से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और कंपनी का व्यवसाय और भी बिगड़ गया जो इस बात से स्पष्ट है कि कंपनी की रणनीतिक बिक्री के लिए निर्णय लिया गया जीससे कंपनी की सहायता करने के विपरीत ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि कंपनी की बिक्री के निर्णय के कारण कंपनी ग्राहकों से पर्याप्त भावी आदेश प्राप्त नहीं कर सकी और अपने भविष्य के साथ जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण कंपनी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकी और ना ही दीर्घकालिक निर्णय ले सकी। संभावित राष्ट्रीय और वैश्विक ग्राहकों की नजर में, इसने कंपनी की छवि को भी भारी क्षति पहुचाई और बाजार से पर्याप्त व्यवसाय हासिल करने की संभावनाओं को समाप्त कर दिया। समिति का मानना है कि एचएएल के पास मजबूत बुनियादी ढांचा और अच्छी तरह से सुस्थापित संयंत्र और मशीनरी है। एचएएल की निम्न लिखित क्षेत्रों में मजबूत बुनियादी ढ़ांचे के कारण स्थिति मजबूत हैः

(i) कई दवाओं और योगों (ड्रग एण्ड फॉमूलेशन्स) के विनिर्माण में मुख्य क्षमता (कोर कंपिटेन्स)

(ii) एंटीबायोटिक दवाओं के आविष्कार करने का गौरव,

(iii) समर्पित और कुशल आर एंड डी टीम,

(iv) कुशल विपणन टीम और नेटवर्क चैनल,

(v) अनुभवी पैशेवर और कम जनशक्ति,

(vi) एचएएल द्वारा विभिन्न उपायों के माध्यम से लागत में कमी और प्रभावशीलता में वृद्धि,

(vii) पर्याप्त उत्पादन सुविधाएं,

(viii) प्राइम लोकेशन पर कीमती जमीन,

(ix) स्थापित ब्रांड और साख; आदि।

इस तरह एचएएल भविष्य में मजबूत व्यवसाय बनाने के लिए सभी आवश्यक संसाधनों और बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित है। इसलिए समिति एचएएल की मुख्य क्षमता (कोर कंपिटेन्स), और इसके मजबूत बुनियादी ढांचे के आधार जैसा की ऊपर वर्णित है को पुनर्जीवित करने और सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसयू के रूप में बनाए रखने के लिए सरकार से दृढ़ता से सिफारिश करती है।

सरकार का उत्तर

मंत्रिमंडल ने दिनांक को एचएएल के रणनीतिक विनिवेश का निर्णय लिया था। इसके 28.12.2016 को मंत्रिमंडल ने एचएएल सहित पीएसयू की संपत्ति की बिक्री और 17.07.2019 अतिरिक्त दिनांक देनदारियों के भुगतान से संबंधित सभी निर्णय लेने के लिए मंत्रियों की एक समिति का गठन किया। मंत्रियों की समिति ने को हुई अपनी पहली बैठक में सेवानिवृत्त लोगों की सभी 27.05.2021 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है और 118 लंबित देय राशि का निपटान करने के लिए एचएएल को एकड़ अधिशेष 3.5 लंबित देनदारियों का निपटान करने के लिएभूमि की बिक्री को मंजूरी दी है। रणनीतिक क्षेत्र में एचएएल पर विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(औषध विभाग) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय]का-2021/1/39013 संख्या .ज्ञा.पीएसयू दिनांक [22.07.2021

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक के पैरा 26 से 31 देखें)

(सिफारिश क्रम संख्या 16)

9. समिति ने आगे कहा कि फार्मास्यूटिकल विभाग को सामान्य रूप से फार्मा क्षेत्र के और विशेष रूप से एचएएल के रणनीतिक महत्व पर सरकार को मनाने के लिए नीति आयोग की बजाय कैबिनेट से संपर्क करना चाहिए तथा कंपनी को सरकारी क्षेत्र में बरकरार रखे जाने हेतु सभी प्रयास करने चाहिए थे। इसके अलावा, विभाग को देश को फार्मा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर' बनाने के लिए 6 साल पहले 25 सितंबर 2014 को शुरू कि गए 'मेन इन इंडिया' के महत्वकांक्षी कार्यक्रम पर समय से काम करना चाहिए था ताकि बढ़ते आयात पर निर्भरता कम हो। हाल ही में कोविड महामारी ने देश को और अधिक दर्दनाक तरीके से एहसास कराया कि मुश्किल समय में जब आयात चैनल उपलब्ध नहीं रहा और निजी क्षेत्र हमारी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता है, तो केवल सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हमारे बचाव में आ सकती है और समाज और देश की मदद कर सकती है। अतः समिति सरकार से इन सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करने और फार्मा क्षेत्र को रणनीतिक क्षेत्र घोषित करने की पुरजोर सिफारिश करती है। समिति की इच्छा है कि एक बार जब 'फार्मा' को 'रणनीतिक' क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, तो आवश्यक पूंजी निवेश के द्वारा एचएएल के लिए एक ठोस कारोबार योजना तैयार करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसा करने में देरी होने से उसकी वित्तीय स्थिति में और गिरावट आएगी। समिति ने देखा कि रणनीतिक बिक्री टैग के कारण नए उत्पाद खंडों में प्रवेश करने, मौजूदा उत्पादों के विस्तार, पुराने संयंत्र और मशीनरी के उन्नयन आदि के लिए एचएएल की कई योजनाएं रोक दी गई हैं। इसलिए समिति पूरी उम्मीद करती है कि सरकार इस मामले में जल्द से जल्द अंतिम निर्णय लेगी।

सरकार का उत्तर

जैसा कि टिप्पणी के उत्तर में उ 15ल्लेख किया गया है और जैसा कि नई पीएसई नीति, में 2021 बताया गया है, एचएएल और अन्य सभी फार्मा पीएसयू को चार रणनीतिक क्षेत्रों का हिस्सा नहीं माना जाता है और इनका या तो निजीकरण किया जायेगा या इन्हें बंद कर दिया जाएगा।

] रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग)का-2021/1/39013 संख्या .ज्ञा.पीएसयू दिनांक [22.07.2021

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक के पैरा 26 से 31 देखें)

अध्याय-पांच

सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार ने अन्तरिम उत्तर भेजे हैं।

- शून्य –

<u>नई दिल्ली;</u>
<u>22 मार्च, 2022</u>
01 चैत्र, 1943 (शक)

संतोष कुमार गंगवार
सभापति
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

परिशिष्ट एक

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2021-2022) की आठवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक शुक्रवार, 15 नवम्बर, 2021 को 1650 बजे से 1710 बजे तक कमरा सं. '3', भूमितल, ब्लॉक ए, संसदीय सौध विस्तार (ईपीएचए), नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री संतोष कुमार गंगवार - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
3. श्री अर्जुनलाल मीणा
4. श्री नामा नागेश्वर राव
5. श्री सुशील कुमार सिंह

राज्यसभा

6. श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य
7. श्री अनिल देसाई

सचिवालय

1. श्री आर. सी. तिवारी - संयुक्त सचिव
2. श्री जी.सी. प्रसाद - अपर निदेशक
3. श्रीमती मृगांका अचल - उप सचिव

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के प्रतिनिधि

1. सुश्री नीरजा सराफ - प्रबंध निदेशक
2. श्री मिलिंद फलाडे - उप प्रबंधक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया जो सरकारी उपक्रम " हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल)" व्यापक जांच के संबंध में समिति के चौथे प्रतिवदेन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध निर्माण विभाग) द्वारा दिए गए उत्तरों के संबंध में 'हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल)' के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लेने के लिए बुलाई गई थी। तत्पश्चात, समिति के सचिवालय ने सदस्यों की सूचना हेतु विषय से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक पॉवर पॉइन्ट प्रस्तुति दी ।

[इसके बाद एचएएल के प्रतिनिधियों को अन्दर बुलाया गया]

3. सभापति ने हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स लिमिटेड के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उनका ध्यान संसदीय समितियों के समक्ष दिए जाने वाले साक्ष्य की गोपनीयता बनाए रखने से संबंधित अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 55(1) की ओर आकृष्ट किया । तत्पश्चात सभापति ने सूचित किया कि चौथे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति ने एचएएल की प्रमुख क्षमताओं, इसके मजबूत पक्षों और अन्य कारकों का गहन विश्लेषण किया और अन्य बातों के अलावा सरकार से सिफारिश की थी कि वह औषध निर्माण को एक अति महत्वपूर्ण (स्ट्रैटेजिक) क्षेत्र घोषित करे और एच.ए.एल का सरकारी क्षेत्र के रूप में पुनरुद्वार करे और उसे बनाए रखे । तथापि, सरकार ने समिति की अधिकांश सिफारिशों के संबंध में अपने पहले के ही दृष्टिकोण को ही दोहराया जो वह विषय की जांच के दौरान व्यक्त कर रही थी ।

4. स्पष्टीकरण मांगा गया था कि क्या की गई कार्रवाई उत्तरों को अंतिम रूप देने से पहले औषध निर्माण विभाग द्वारा एच.ए.एल के मत पर विचार किया गया था और क्या एचएएल द्वारा कोई पुनरुद्धार योजना भी प्रस्तुत की गई थी । सभापति यह भी जानना चाहते थे कि यदि अवसर दिया जाए तो क्या एचएएल का प्रबंधन कंपनी का पुनरुद्धार कर सकता है । वे यह भी जानना चाहते थे कि एचएएल को सरकार से किस तरह की सहायता चाहिए और सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दिए जाने की स्थिति में प्रक्रिया को पूरा करने में कितना समय लगेगा ।

5. तदनन्तर, एचएएल ने कंपनी के कारोबार, कंपनी के घाटे को कम करना, जनशक्ति, देनदारियों को चुकाने के लिए अधिशेष भूमि का मुद्रीकरण करना, इत्यादि को रेखांकित करते हुए विषय पर एक पॉवर पॉइन्ट प्रस्तुति दी । कंपनी के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में शामिल करने और भूमि की बिक्री का सरकार द्वारा अनुमोदन किए जाने सहित विभिन्न मुद्दों के संबंध में जानकारी दी ।

6. तत्पश्चात, सभापति और सदस्यों ने विभिन्न पहलुओं के संबंधमें प्रश्न पूछे और कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि के बाजार मूल्य, कोविड से जुड़ी औषधियों और वैक्सीन के विनिर्माण के संबंध में हालिया कार्यनिष्पादन और 'फार्मा'को अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र (स्ट्रैटेजिक) के रूप में वर्गीकृत करने से संबंधित मुद्दों के बारे में स्पष्टीकरण मांगे । एचएएल के प्रतिनिधियों ने सदस्यों द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और अन्य प्रश्नों जिनके उत्तर उस समय उनके पास नहीं थे, के उत्तर समिति सचिवालय के पास भेजने के लिए उनको 10 दिन का समय दिया गया ।

[तत्पश्चात् साक्षी चले गए।]

(शब्दशः कार्रवाई की एक प्रति अलग से रखी गई है).

....

<u>परिशिष्ट-दो</u>

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2021-22) की नौवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक बुधवार 15 नवंबर, 2021 को 1710 बजे से 1740 बजे तक समिति कमरा सं. '3', भूमि तल, ब्लॉक ए, संसदीय सौध विस्तार (ईपीएचए), नई दिल्ली में हुई।

<u>उपस्थित</u>

श्री संतोष कुमार गंगवार - सभापति

सदस्य

<u>लोक सभा</u>

2. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
3. श्री अर्जुन लाल मीणा
4. श्री नामा नागेश्वर राव
5. श्री सुशील कुमार सिंह

<u>राज्य सभा</u>

6. श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य
7. श्री अनिल देसाई

<u>सचिवालय</u>

1. श्री आर.सी.तिवारी - अपर सचिव
2. श्री जी. सी. प्रसाद - अपर निदेशक
3. श्रीमती मृगांका अचल - उप सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) के प्रतिनिधि

1.	सुश्री एस. अपर्णा	-	सचिव
2.	श्री एच.के. हाजोंग	-	आर्थिक सलाहकार
3.	श्री आशीष उपाध्याय	-	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
4.	श्री ए.वी. लाकरा	-	निदेशक (पीएसयू)

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उनका ध्यान संसदीय समितियों के समक्ष दिए गए साक्ष्यों की गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 55 (1) की ओर आकृष्ट कराया । माननीय सभापति ने इच्छा व्यक्त की कि चूंकि 'फार्मा' क्षेत्र आम लोगों से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, अत: संसद के समक्ष प्रभावी प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने से पहले समिति में इस पर समुचित चर्चा किए जाने की आवश्यकता है । उन्होंने यह जानना चाहा कि क्या समिति की 'फार्मा' क्षेत्र को 'रणनीतिक क्षेत्र' घोषित करने और एचएएल को सरकार के तहत सीपीएसयू के रूप में बनाए रखने की सिफारिश को मंत्रिमंडल और नीति आयोग के संज्ञान में लाया गया था। माननीय सभापति ने एचएएल के हालिया कार्यनिष्पादन और स्थिति के बारे में भी पूछा और यह जानना चाहा कि क्या कंपनी को पुनरूज्जीवित करने के लिए किसी प्रकार की सहायता प्रदान की गई है। माननीय सभापति ने सरकार की परामर्श प्रक्रिया, सरकार द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले सभी हितधारकों के विचारों और सरकार द्वारा 'फार्मा' को 'रणनीतिक क्षेत्र' घोषित करने का निर्णय नहीं लेने के कारणों के बारे में भी स्पष्टीकरण मांगे ।

3. तत्पश्चात् औषध विभाग के प्रतिनिधियों ने समिति को सूचित किया कि विभाग द्वारा इस बात को वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के संज्ञान में लाया गया है कि एचएएल या फार्मा क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र ही बनाए रखा जाए और जिन तीनों कंपनियां अर्थात एचएएल, बीसीपीएल और केएपीएल जो अभी तक बंद नहीं हुई हैं, का विलय कर दिया जाए। सचिव ने समिति को यह भी बताया कि कोविड महामारी की संपूर्ण अवधि के दौरान विभाग ने उद्योगों के साथ मिलकर काम किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घरेलू आवश्यकताओं और जहां तक संभव हो, वैश्विक आवश्यकताओं के लिए उत्पादन और आपूर्ति में कोई व्यवधान न हो, कंपनी को लाभकारी स्थिति में वापस लाने में कठिनाई न हो, स्वास्थ्य कियोस्क का निर्माण और एचएएल द्वारा एपीआई का उत्पादन हो सके, संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक पूंजीगत व्यय की

व्यवस्था हो सके और वर्तमान महामारी के दौरान औषध सुरक्षा और औषध आपूर्ति की दिशा में प्रयास किए जा सके।

4. तत्पश्चात् माननीय सभापति और सदस्यों ने विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रश्न पूछे और कंपनी द्वारा शुरू की गई नई एपीआई, कंपनी की देनदारियों को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों, वर्ष 2021 में एचएएल पर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात सरकार द्वारा किए गए प्रयास, एचएएल के समक्ष चुनौतियां और कंपनी की भूमि के स्वतंत्र मूल्यांकन के संबंध में स्पष्टीकरण मांगे । विभाग के प्रतिनिधियों ने सदस्यों द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और शेष प्रश्नों के लिए उन्हें समिति सचिवालय को लिखित उत्तर प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया ।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

(*बैठक की* कार्यवाही की शब्दश: प्रति अलग से रखी गई है।)

/--------------------/

<u>परिशिष्ट - तीन</u>

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2021-2022) की तेइसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक बुधवार 16 फरवरी, 2022 को 1500 बजे से 1630 बजे तक समिति कक्ष 'डी', भू तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में सम्पन्न हुई।

उपस्थित

श्री संतोष कुमार गंगवार - सभापति

सदस्य

<u>लोक सभा</u>

2. श्री अर्जुन लाल मीणा
3. श्री नामा नागेश्वर राव
4. श्री सुशील कुमार सिंह

<u>राज्य सभा</u>

5. श्री अनिल देसाई
6. श्री सैयद नासिर हुसैन
7. श्री ओम प्रकाश माथुर
8. श्री केरामामूर्ति .सी.

सचिवालय

1. श्री आर.सी.तिवारी - अपर सचिव
2. श्री श्रीनिवासुलु गुंडा निदेशक -
3. श्री जी. सी. प्रसाद अपर निदेशक -
4. श्रीमती मृगांका अचल उप सचिव -

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने तीन प्रारूप की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों पर विचार करने और इन्हें स्वीकार करने तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) लिमिटेड विषय की

व्यापक जांच के संबंध में संक्षिप्त जानकारी लेने के लिए बुलाई गई समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तीन प्रारूप की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन निम्नलिखित से संबंधित हैं:-

(i) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(ii) **** **** ****

(iii) **** **** ****

3. समिति ने इन प्रारूप कार्रवाई रिपोर्टों पर विचार किया और बिना किसी परिवर्तन/संशोधन के इन्हें स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात् समिति ने संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा तथ्यात्मक सत्यापन के आधार पर प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने और आगामी सत्र में संसद में प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने पर विचार करने के लिए सभापति को प्राधिकृत किया।

4. इसके बाद समिति सचिवालय ने बैठक की कार्यसूची से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर एक पावर-पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया।

(तत्पश्चात् आईएफ़सीआई लिमिटेड के प्रतिनिधियों को बुलाया गया)

5. **** **** ****

6. **** **** ****

7. **** **** ****

8. **** **** ****

9. **** **** ****

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हो गई ।

(समिति की कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड अलग से रखा गया है।)

(-----------)

परिशिष्ट-चार

(प्राक्कथन का पैरा 3 देखें)

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण

एक.	सिफारिशों की कुल संख्या	16
दो.	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है	7
	[क्रम सं. 1, 7, 8, 11, 12, 13 और 14]	
	कुल का प्रतिशत :	43.75
तीन.	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है	4
	[क्रम सं. 2, 3, 9 और 10]	
	कुल का प्रतिशत :	25
चार.	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है	5
	[क्रम.सं. 4, 5, 6, 15 और 16]	
	कुल का प्रतिशत:	31.25
पांच.	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर दिए हैं	शून्य
	कुल का प्रतिशत:	शून्य